बैंकों द्वारा व्युत्पन्नी पर व्यापक दिशानिर्देशों की संरचना के लिए किया गया। इस कार्यदल की अनुशंसाओं के आधार पर व्युत्पन्नी पर व्यापक दिशानिर्देश के प्रारूप सभी संबंधितों के अभिमत के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाले गए। प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर दिशानिर्देशों को उपयुक्त ढंग से संशोधित किया गया और उन्हें 20 अप्रैल 2007 को जारी किया गया । ये दिशानिर्देश व्युत्पन्नी लेन-देन के लिए अर्थात विनियामक परिप्रेक्ष्य से कोई व्युत्पन्नी लेन-देन शुरू करने हेतु प्रमुख अपेक्षाएँ शुरू करने के लिए विस्तृत सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। उचित जोखिम प्रबंध संरचना तथा समुचित कंपनी अभिशासन व्यवहारों पर जोर डाला गया है। ग्राहकों को बाजार-निर्माताओं द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे व्युत्पन्नी उत्पादों की 'उपयुक्तता' और 'औचित्य' तथा 'ग्राहक औचित्य' पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इन दिशानिर्देशों में रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नी से संबंधित विद्यमान अनुदेश भी शामिल हैं। यह निर्दिष्ट किया गया था कि विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी से संबंधित दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएँगे।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

2.97 वर्ष 2006-07 के दौरान प्रावधानीकरण के संबंध में विवेकशील मानदण्डों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के समरूप लाने के लिए और परिशोधित किया गया। उच्चतर ऋण वृद्धि के आलोक में तथा ऋण गुणवत्ता और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में सुधार सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रावधानीकरण मानदण्डों को युक्तियुक्त बनाया गया और अस्थिर प्रावधानों के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई।

समयोत्तर कार्यवाली परियोजनाएँ

2.98 मूलभूत सुविधा परियोजनाओं को अन्य बातों के साथ-साथ कई अंतर्निहित कारकों जैसे कि सांविधिक/विनियामक अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के कारण लम्बी कार्यकारी अवधि के साथ भारी निधि व्यय की आवश्यकता होती है। ये सभी कारक जो प्रवर्तकों के नियंत्रण से बाहर हैं, परियोजना के कार्यान्वयन में देरी कर सकते हैं और बैंकों द्वारा पुनर्विन्यास/ पुनर्निर्धारण को शामिल कर सकते हैं। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदत्त परियोजनाओं के संबंध में परियोजना की वित्तीय लेखाबंदी के समय परियोजना की पूर्णता की तारीख का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। यदि परियोजना की पूर्णता की तारीख के बाद वाणिज्यिक उत्पादन छः महीने की अवधि के बाद की तारीख से शुरू होता है जैसाकि मूलरूप में परिकल्पित है तो इस खाते को अवमानक अस्ति माना जाए। समयात्तर कार्यवाली केवल मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए आस्ति वर्गीकरण मानदण्डों में आंशिक आशोधन करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 12 अप्रैल 2007 को बैंकों को सूचित किया गया कि आस्तियों को अवमानक तभी माना जाएगा यदि परियोजना की पूर्णता की तारीख के बाद, जैसाकि मूल रूप में परिकल्पित है, वाणिज्यिक उत्पादन एक वर्ष की अवधि के बाद (पूर्व में छह महीने के बदले) की तारीख से शुरू होता है। संशोधित अनुदेश 31 मार्च 2007 से लागू हैं।

मानक आस्ति के प्रति प्रावधान

2.99 भू-संपदा क्षेत्र, व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों तथा पूँजी बाजार एक्सपोजर के योग्य ऋण और अग्रिम में जारी उच्चतर ऋण वृद्धि तथा व्यक्तिगत ऋणों, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के संबंध में उच्चतर चूक दर वर्ष के दौरान चिंता के विषय के रूप में उभरे। मई 2006 में विशिष्ट क्षेत्रों उदाहरणार्थ; व्यक्तिगत ऋण, पूँजी बाजार एक्सपोजर के योग्य ऋण और अग्रिम, 20 लाख रुपए से अधिक के रिहाइशी आवास ऋण और वाणिज्यिक भू-संपदा ऋण के संबंध में मानक अग्रिमों पर बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) की सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षाएँ 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत कर दी गईं। 31 जनवरी 2007 को बैंकों को पुनः सूचित किया गया कि वे ऋण और अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों (i) व्यक्तिगत ऋण (क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों सहित); (ii) पूँजी बाजार एक्सपोजर के योग्य ऋण और अग्रिम, और (iii) भू-संपदा ऋण (रिहाइशी आवास ऋणों को छोड़कर)। इसके अलावा मानक आस्ति श्रेणी में ऋणों और अग्रिमों के संबंध में प्रावधानीकरण अपेक्षा को प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमा न लेने वाली एनबीएफसी मामले में 0.4 प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया गया। अर्थव्यवस्था के उच्च उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी ऋण और अग्रिम जो मानक आस्तियाँ हैं, के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा को अपरिवर्तित रखा गया। उदाहरणार्थ : (i) कृषि और लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्रों के लिए 0.25 प्रतिशत पर प्रत्यक्ष अग्रिम; तथा (ii) अन्य सभी ऋण और अग्रिम पर 0.4 प्रतिशत । अब तक की तरह ये प्रावधान अनुमत सीमा तक पूँजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए टियर II पूँजी में शामिल किए जाने के पात्र होंगे।

अस्थिर प्रावधानों के सृजन और उपयोगिता पर विवेकपूर्ण मानदण्ड

2.100 यह मानते हुए कि उच्चतर ऋण हानि प्रावधानीकरण बैंकों की समग्र वित्तीय सुदृढ़ता और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को उन्नत बनाता है, बैंकों से कहा गया कि वे स्वैच्छिक रूप से अस्थिर प्रावधान यथा; वे प्रावधान जो विशिष्ट अनर्जक आस्तियों के संबंध में नहीं किए गए हैं अथवा मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों हेतु विनियामक अपेक्षाओं से अधिक किए गए हैं। तथापि, कई बैंकों में देखा गया कि वे अपने

लाभों को कारगर बनाने की दृष्टि वर्तमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार किये जाने वाले प्रावधानों को समंजित करने के लिए अस्थिर प्रावधानों का उपयोग कर रहे थे, इसलिए वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई। 22 जून 2006 को अस्थिर प्रावधानों के उपायोग, सृजन, लेखांकन और प्रकटन पर संशोधित अनुदेश जारी किए गए।

2.101 बैंकों को सूचित किया गया कि अस्थिर प्रावधानों का उपयोग अनर्जक आस्तियों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान करने अथवा मानक आस्तियों के संबंध में विनियामक प्रावधान करने के लिए न किया जाए। अस्थिर प्रावधानों का उपयोग रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के साथ बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद क्षतिग्रस्त खातों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत केवल आकस्मिकता के लिए किया जाए। बैंकों के निदेशक बोर्ड उस स्तर के संबंध में अनुमोदित नीति का निर्धारण करें जिस स्तर तक अस्थिर प्रावधान सृजित किए जाएँ । कोई बैंक स्वैच्छिक रूप से उन दरों पर अग्रिमों के लिए विशिष्ट प्रावधान कर सकता है जो वर्तमान विनियमों के अंतर्गत निर्धारित दरों से उच्चतर हैं, बशर्ते ऐसी उच्चतर दरें निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई हों और लगातार वर्ष-दर-वर्ष अंगीकृत की गई हों। ऐसे अतिरिक्त प्रावधानों को अस्थिर प्रावधान नहीं माना जाता है।

2.102 अस्थिर प्रावधानों को लाभ-हानि खाते में जमा के द्वारा प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। उनका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में विशिष्ट प्रावधानों के लिए किया जा सकता है जैसाकि पूर्व में संकेत किया गया है। ऐसा उपयोग नहीं किए जाने तक ये प्रावधान सकल अनर्जक आस्तियों से घटाकर निवल अनर्जक आस्तियों के प्रकटन की गणना करने के लिए किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से उन्हें कुल जोखिम भारित आस्तियों की 1.25 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर टियर II पूँजी का एक भाग माना जा सकता है।

2.103 निम्नलिखित अस्थिर प्रावधानों के संदर्भ में उपयुक्त नीतियाँ विकसित करने हेतु बोर्डों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए 13 मार्च 2007 को यह स्पष्ट किया गया कि असाधारण परिस्थितियाँ उस क्षति का उल्लेख करती हैं जो व्यापार के सामान्य क्रम में उत्पन्न नहीं होती हैं और वे अपवादात्मक तथा स्वभावतः अपुनरावर्तक हैं। ये असाधारण परिस्थितियाँ विस्तृत रूप से तीन श्रेणियों यथा; सामान्य, बाजार और ऋण श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ बैंक किसी देश में असैनिक अस्थिरता अथवा मुद्रा के पतन जैसी स्थितियों के कारण अप्रत्याक्षित रूप से हानि उठाते हैं। प्राकृतिक आपदाएँ और महामारी को भी सामान्य श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। बाजार श्रेणी में बाजार में सामान्य गिरावट जैसी घटनाएं शामिल है जो समस्त वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करती है। ऋण श्रेणी में केवल अपवादात्मक ऋण हानियों को असाधारण परिस्थिति माना जाता है।

संपत्ति का मूल्यांकन - मूल्यांककों की सूची तैयार करना

2.104 विभिन्न बैंक संपत्ति के मूल्यांकन और इस प्रयोजन के लिए मूल्यांककों की नियुक्ति हेतु विभिन्न नीतियों का अनुसरण करते हैं। बैंकों द्वारा स्वाधिकृत अचल आस्तियों तथा उनके अग्रिम संविभाग के एक बड़े हिस्से के लिए उनके द्वारा स्वीकृत संपार्श्विक, सटीक और वास्तविक मूल्यांकन बैंकों की पूँजी पर्याप्तता स्थिति के सही मापन के उनके निहितार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अचल आस्तियों के वास्तविक मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली/प्रक्रिया लागू करने तथा इस प्रयोजन हेतु मूल्यांककों की सूची तैयार करने की आवश्यकता को जानते हुए 4 जनवरी 2007 को बैंकों को सूचित किया गया कि वे (i) उनके एक्सपोजरों के लिए स्वीकृत संपार्श्विकों सहित संपत्ति के मूल्यांकन हेतु एक बोर्ड अनुमोदित नीति लागू करें; (ii) मूल्यांकन पेशेवर अर्हता प्राप्त स्वतंत्र मूल्यांककों/एक्सपोजर अर्थात, मूल्यांकक जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हित न हो, के द्वारा मूल्यांकन कराया जाए; (iii) बैंक 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक पर मूल्यांकित संपत्ति के लिए न्यूनतम दो स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त करें; (iv) बैंकों के पास पेशेवर मूल्यांककों के सूचीकरण के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए और उन्हें 'मूल्यांककों की अनुमोदित सूची' का एक रजिस्टर रखना चाहिए; (v) बैंक, संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 34 कख (नियम 8 क) के अंतर्गत निर्धारित योग्यता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांककों के सूचीकरण के लिए एक न्यूनतम अर्हता निर्धारित करें; और (vi) बैंक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आइसीएआइ) द्वारा जारी संगत लेखांकन मानकों द्वारा भी निर्देशित हों।

2.105 उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक अपनी स्वयं की संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए नीतियां तैयार करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर भी ध्यान दें। एक, पूँजी पर्याप्तता पर वर्तमान दिशानिर्देश बैंकों को अनुमति देते हैं कि वे टियर II पूँजी के एक भाग के रूप में 55 प्रतिशत की छूट पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को शामिल करें। इस दृष्टि से, यह आवश्यक हो जाता है कि पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियाँ संपत्ति के बाजार मूल्य का वास्तविक मूल्यांकन प्रस्तुत करें और बैंकों के पास उनके द्वारा स्वाधिकृत अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक व्यापक नीति हो। अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी नीति में पुनर्मूल्यांकन के लिए आस्तियों की पहचान की प्रक्रिया, ऐसी आस्तियों के लिए अभिलेखों के एक अलग सेट का रखरखाव, पुनर्मूल्यांकन की बारम्बारता, ऐसी आस्तियों के लिए मूल्यह्रास नीति और ऐसी पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की बिक्री के लिए नीति शामिल रहे। इस नीति

में मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास के पुनर्मूल्यांकन और लेखांकन कार्य के अधीन अचल आस्तियों की मूल लागत जैसे पुनर्मूल्यांकन के ब्यौरे के संबंध में 'लेखा पर नोट' में किया जानेवाला अपेक्षित प्रकटन भी शामिल रहना चाहिए। दूसरा, चूँकि पुनर्मूल्यांकन में अचल आस्तियों के निष्पक्ष मूल्य में परिवर्तन लक्षित होना चाहिए, पुनर्मूल्यांकन की बारंबारता विगत में आस्तियों की कीमतों में पाए गए उतार-चढ़ाव के आधार पर निर्धारित किया जाए। तथापि, मूल्यह्रास की पद्धति में कोई परिवर्तन आस्तियों के भविष्य के आर्थिक लाभों के अपेक्षित उपभोग ढाँचे में परिवर्तन को प्रतिबिम्बित करे। बैंकों से अपेक्षित है कि वे आस्ति के एक विशेष वर्ग के लिए पुनर्मूल्यांकन की बारम्बारता/ मूल्यह्रास की पद्धति को बदलते समय इन सिद्धांतों का सावधानी से पालन करें और इस संबंध में उचित प्रकटन करें।

बैंकों द्वारा अनर्जक आस्तियों का प्रबंध

2.106 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समय बीतने पर अनर्जक आस्तियों की वसूली के अवसर के साथ-साथ सीमा में कमी हो सकती है, रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), लोक अदालत, कंपनी ऋण पुनर्निर्माण (सीडीआर) व्यवस्था और एसएआरएफएईएसआइ अधिनियम, 2002 जैसे ऋण वसूली के विभिन्न साधनों को सुदृढ़ करते हुए बैंकों द्वारा अनर्जक आस्तियों की वसूली को तीव्र किए जाने के लिए कई उपाय किए हैं।

2.107 अग्रिम (सीडीआर प्रक्रिया तथा एसएमई ऋण पुनर्विन्यास प्रक्रिया से इतर) के पुनर्विन्यास पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करने तथा उन्हें अनुकूल बनाने के लिए संशोधित सीडीआर प्रक्रिया के अनुरूप वाणिज्य बैंकों, भारतीय बैंक संघ (आइबीए) और रिज़र्व बैंक के सदस्यों को शामिल करते हुए एक कार्यदल का गठन किया गया। इस कार्यदल ने उपयुक्त आशोधनों के साथ अग्रिमों की अन्य श्रेणियों (जो गैर-सीडीआर/गैर एसएमई उधारकर्ताओं को दिए गए हैं) के लिए कंपनी ऋण पुनर्निर्माण व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित विनियामक ढाँचे के अंगीकरण का सुझाव दिया। कार्यदल द्वारा की गई अनुशंसाओं और प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर जून 2007 में पुनर्विन्यास/पुनर्निर्धारण पर विवेकशील दिशानिर्देश के प्रारूप जारी किए गए।

2.108 अनर्जक आस्तियों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने और एक स्वस्थ गौण बाजार विकसित करने की दृष्टि से जुलाई 2005 में मूल्यांकन और मूल्यनिर्धारण पहलुओं और आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण, वसूलियों के लेखांकन, पूँजी पर्याप्तता, एक्सपोजर मानदण्ड और प्रकटन अपेक्षाओं से संबंधित विवेकशील मानदण्डों सहित बैंकों द्वारा गैर-निष्पादक आस्तियों की खरीद/बिक्री के लिए प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए अनर्जक आस्तियों की बिक्री/खरीद पर दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों को मई 2007 में आंशिक रूप से आशोधित किया गया जिसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि तीन वर्षों के भीतर पूर्ण वसूली के अधीन पहले वर्ष में अनुमानित नकदी प्रवाह के कम-से-कम 10 प्रतिशत और उसके बाद प्रत्येक छमाही में कम-से-कम 5 प्रतिशत की वसूली की जाए।

2.109 ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नियमों एवं विनियमों का प्रारूप तैयार करने के लिए एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री प्रशांत शरण) का गठन किया। नियम एवं विनियम के प्रारूप तैयार किए गए और उन्हें विस्तृत प्रचार और अभिमत के लिए बैंक के वेबसाइट पर डाला गया। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर नियम एवं विनियम के प्रारूप तैयार किए गए और भारत सरकार (बॉक्स II.11) के परामर्श से उन्हें दिसंबर 2006 में अधिसूचित किया गया।

कंपनी अभिशासन

2.110 हाल के वर्षों में कंपनी अभिशासन ने वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में अत्यधिक महत्व प्राप्त किया है। जमाकर्ताओं के हितों तथा वित्तीय प्रणाली की सुव्यवस्था की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि बैंकों के स्वामी तथा प्रबंधक सुदृढ़ सत्यनिष्ठा के व्यक्ति हों। इन विचारों को दृष्टिगत रखते हुए, रिज़र्व बैंक की पहल पर भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'योग्य और समुचित' मानदंड की प्रयोज्यता उपलब्ध कराने के लिए कुछ नई धाराओं को शामिल करने हेतु बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 में संशोधन किया है। इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

2.111 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 (2006 में यथासंशोधित) में धारा 9(3कक) और 3(कख) नामक दो नयी धाराएं शामिल कर राष्ट्रीकृत बैंकों के बोर्डों पर चुने गए निदेशकों के लिए 'योग्य और समुचित' मानदण्ड की प्रयोज्यता को प्रभावी तरीके से लागू किया गया। उक्त धाराओं के प्रावधानों के अनुसार, 1 नवंबर 2007 के परिपत्र और अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों पर चुने गए निदेशकों के लिए 'योग्य और समुचित' मानदण्ड लागू

बॉक्स II.11 : ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 - नियमावली एवं विनियमावली

ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 मई 2005 में संसद में पारित किया गया। इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नियम एवं विनियम को 14 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम का अधिनियमन विधिक व्यवस्था को सुदढ़ता प्रदान करने तथा बैंकों और वित्तीय कंपनियों के उधारकर्ताओं के विषय में ऋण सूचना के संग्रह, संसाधन और सहभागिता के लिए ऋण सूचना कंपनियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिनियम में ऋण सूचना कंपनियों के दायित्व, सदस्य ऋण संस्था के अधिकार और दायित्व तथा गोपनीय अधिकारों की अभिरक्षा भी शामिल है। ऋण सूचना कंपनी नियमावली और विनियमावली की विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं :

I. ऋण सूचना कंपनी नियमावली की विशेषताएं

(i) ऋण सूचना कंपनी, जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन अस्वीकृत हो चुका है अथवा जिसका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया जा चुका है, इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा पदनामित अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क कर सकती है।

(ii) प्रत्येक ऋण संस्था और ऋण सूचना कंपनी को अपने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित उपयुक्त नीति और प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए जिसमें (क) उधारकर्ता के संबंध में आँकड़ों के संग्रह, संसाधन और संकलन किए जाने, (ख) आँकड़े की सुरक्षा और अभिरक्षा आँकड़े तथा अपनी ओर से अनुरक्षित ऋण सूचना के उपाय, (ग) एक सटीक, संपूर्ण और अद्यतन आँकड़े के रखरखाव के लिए समुचित और आवश्यक उपाय तथा (घ) सुरक्षित माध्यम से आँकड़ा अंतरित करने के संबंध में उपाय तथा सुरक्षा व्यवस्था हो। साथ ही, ऋण संस्था अथवा ऋण सूचना कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण सूचना उस तारीख के संदर्भ में सटीक और संपूर्ण है जिस तारीख को, जैसी स्थिति हो, ऐसी सूचना भेजी गई है अथवा ऋण सूचना कंपनी अथवा विशिष्ट उपयोगकर्ता को प्रकट की गई है।

(iii) अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए प्रत्येक ऋण सूचना कंपनी, ऋण संस्था और विशिष्ट उपयोगकर्ता निम्नलिखित के लिए नीति और प्रक्रिया अपनाएं:

(क) आँकड़े की गोपनीयता प्राप्त करना;

(ख) जानकारी के लिए आवश्यक आधार पर केवल प्राधिकृत प्रबंधकों या कर्मचारियों को ही प्रवेश की अनुमति;

(ग) बायोमीट्रिक प्रवेश नियंत्रण जैसे भौतिक अवरोधों तथा पासवर्ड के माध्यम से तर्कसम्मत अवरोधों के माध्यम से टर्मिनल, नेटवर्क में आँकड़ों में नियंत्रित प्रवेश सुनिश्चित करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि पासवर्ड नियमित रूप से तथा बारम्बार बदले जा रहे हैं;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि आँकड़ों के विलोपन और निपटान विशेषतः ऑफ-साइट अभिलेखों अथवा डिस्कों अथवा बाह्य संविदाकारों द्वारा निपटान के संबंध में सर्वोत्तम व्यवहारों का पालन किया जा रहा है;

(च) आँकड़ों के अनधिकृत आशोधन अथवा विलोपन के विरुद्ध रक्षा सुनिश्चित करना;

(छ) एक प्रमाणित अथवा संदेहास्पद सुरक्षा-भेदन सहित आँकड़ों में सभी प्रवेशों के, सभी असफल प्रयत्नों और सभी घटनाओं के ज्लॉगट के रखरखाव को सुनिश्चित करना;

(ज) सार्वजनिक और निजी नेटवर्क से गुजरते समय सूचनाओं की चोरी के विरुद्ध रक्षा।

II. ऋण सूचना कंपनी विनियमावली की विशेषताएं

(i) विनियम यह उल्लेख करते हैं कि इस अधिनियम की धारा 2(1) के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अलावा कौन कंपनी विशिष्ट उपयोगकर्ता (अन्य के बीच बीमा कंपनी, सेल्यूलर/फोन कंपनी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, शेयर दलाल, कारोबारी सदस्य, सेबी, आइआरडीए) के रूप में ऋण सूचना प्राप्त कर सकती है।

(ii) ऋण सूचना कारोबार जारी रखने/शुरू करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वीकृति हेतु किसी कंपनी द्वारा प्रत्येक आवेदनपत्र फॉर्म ज्एट में रिज़र्व बैंक को दिया जाना चाहिए। आवेदनपत्र की छान-बीन करते समय रिज़र्व बैंक ऐसी आवेदक कंपनी को ज्सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर सकता है और उसमें शामिल शर्तों को पूरा करने के लिए अधिक-से-अधिक तीन महीनों का समय उपलब्ध करा सकता है तथा उसके बाद कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है।

(iii) विनियमावली में उस कारोबार का प्रारूप दिया गया है, जिसमें ऋण सूचना कंपनियों, अधिनियम की धारा 14(1) के तहत प्रावधान किए गए के अलावा (सदस्यों को आंकड़ा प्रबंधन सेवा, सदस्यों द्वारा प्रतिभूतियों में किए गए निवेश, कपट, धन शोधन आदि संबंधी जानकारी एकत्र/प्रेषित करना) काम कर सकती है।

(iv) ऋण सूचना कंपनियों, ऋण संस्थाओं और विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए सृजित गोपनीयता सिद्धांत में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) ऋण सूचना संग्रह में सावधानी: ऋण सूचना समुचित ढंग से सही-सही दर्ज की जाएगी, संग्रह की जाएगी और संसाधित की जाएगी तथा उसे क्षति, अनधिकृत प्रवेश, उपयोग, आशोधन अथवा प्रकटन से बचाया जाएगा। सूचना सटीक होगी, संपूर्ण होगी तथा किसी प्रकार की क्षति अथवा अनधिकृत प्रवेश अथवा उपयोग से विधिवत रक्षित होगी।

(ख) ऋण सूचना में प्रवेश और उसका आशोधन : किसी व्यक्ति के अनुरोध पर प्रत्येक ऋण सूचना कंपनी संतोषप्रद पहचान के अधीन उसकी स्वयं की ऋण सूचना रिपोर्ट उसे प्रकट करेगी। तथापि, प्रत्येक ऋण सूचना कंपनी, ऋण संस्था और विशिष्ट उपयोगकर्ता निर्धारित समय-सीमा के भीतर परस्पर समुचित समन्वय के साथ ऋण सूचना को अद्यतन किए जाने के संबंध में त्वरित कार्रवाई करेंगे।

(ग) आंकड़ों के उपयोग की सीमा : विशिष्ट उपयोगकर्ता द्वारा उधारकर्ता या ग्राहक को, जो भी स्थिति हो, उसे ऋण अस्वीकृत करने पर, तीस दिन के भीतर प्रकटन का दायित्व।

(घ) ऋण सूचना परिरक्षण की अवधि: ऋण सूचना न्यूनतम सात वर्षों की अवधि के लिए परिरक्षित की जानी चाहिए।

(v) विनियम व्यक्तिगत आँकड़े, व्यक्तिगत आँकड़ों की माँग, तीसरे पक्ष को आँकड़ा अंतरित करने में दायित्व, व्यक्तियों की शिकायतों के निवारण तथा अन्य बातों के साथ व्यक्तिगत आँकड़े के परिरक्षण की अवधि के तरीके तथा संग्रह के प्रयोजन से संबंधित व्यक्तिगत ऋण सूचना के संबंध में सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है।

(vi) ऋण सूचना कंपनी द्वारा प्रभारित की जानेवाली अधिकतम फीस निम्न प्रकार है :

- 15 लाख रुपए - ऋण संस्था और ऋण सूचना कंपनी के लिए सदस्यता शुल्क।
- 50,000 रुपए और 15 लाख रुपए - क्रमशः ऋण संस्था और ऋण सूचना कंपनी के लिए वार्षिक शुल्क।
- किसी व्यक्ति को उसकी अपनी ऋण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए 100 रुपए।
- विशिष्ट उपयोगकर्ता को व्यक्तियों और गैर-व्यक्तियों पर ऋण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए क्रमशः 500 रुपए और 5,000 रुपए।

किए गए। इसी तरह, भारतीय रिज़र्व बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (2007 में यथा संशोधित) धारा 25(2) और (3) शामिल कर भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों4 के बोर्डों पर चुने गए निदेशकों पर ''योग्य और समुचित'' मानदण्ड की प्रयोज्यता लागू की गयी। भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के बारे में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

अपने ग्राहक को जानिए तथा धन शोधन निवारण मानदंड

2.112 अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) तथा काला-धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों पर दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा नवंबर 2004 में जारी किए गए। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधान 1 जुलाई 2005 को लागू किए गए। नियमावली के अनुसार, वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआइयू-आइएनडी) का गठन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट की गई नकदी और संदेहास्पद लेन-देन के संग्रह, संकलन, मिलान और विश्लेषण के लिए किया गया था। संदेहास्पद लेन-देन और मुद्रा लेन-देन की रिपोर्टिंग फॉर्मेट को वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआइयू-आइएनडी) के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया और तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया कि वे वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत यथानिर्धारित नकदी और संदेहास्पद लेन-देन की रिपोर्ट करें। अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी)/ धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद को वित्तीय सहायता से युद्ध (सीएफटी) व्यवस्था को रिज़र्व बैंक ने अंतरर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों तथा वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) की अनुशंसाओं के अनुरूप लागू किया। संपूर्ण रूप में देश तथा विशेष रूप में वित्तीय क्षेत्र का वर्ष 2005 में धन शोधन निवारण पर एशिया प्रशांत समूह (एपीजीएमएल) द्वारा मूल्यांकन किया गया और अब भारत को वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) में 'पर्यवेक्षक' की स्थिति प्राप्त है।

2.113 बैंक खातों के बीच निधियों के अंतरण के लिए बैंक अब त्वरित पद्धति के रूप में वायर अंतरण का उपयोग करते हैं। वायर अंतरण में किसी देश की राष्ट्रीय सीमा के भीतर अथवा एक देश से दूसरे देश को किया जानेवाला लेन-देन शामिल है। चूँकि वायर अंतरण में मुद्रा की वास्तविक आवाजाही शामिल नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान को मूल्यों के अंतरण के लिए उन्हें एक तीव्र और सुरक्षित पद्धति माना जाता है। इस संबंध में वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) विशेष अनुशंसा (एसआर) VII के समरूप 13 अप्रैल 2007 को बैंकों को अपने ग्राहक को जानिए/कालाधन आशोधन/ आतंकवाद को वित्तीय सहायता से युद्ध पर दिशानिर्देश जारी किए गए जिसका लक्ष्य आतंकवादियों और अन्य अपराधियों को सीमा के पार अपनी निधियों की आवाजाही के लिए वायर अंतरण के दुरुपयोग से रोकना है। किसी वायर अंतरण की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं : (क) सभी सीमा-पारीय वायर अंतरणों में सटीक और सार्थक प्रवर्तक -सूचना रहे; (ख) सीमा-पारीय वायर अंतरण के साथ सूचना में प्रवर्तक का नाम और पता तथा जहाँ पर खाता है वहां उस खाते की संख्या अवश्य शामिल रहे (खाते के अभाव में, एक अद्वितीय संदर्भ संख्या, जैसा संबंधित देश में प्रचलित हो, अवश्य शामिल की जाए); (ग) जहाँ पर एक ही प्रवर्तक से कई व्यक्तिगत अंतरण दूसरे देश में हिताधिकारियों को अंतरण के लिए एक बैच फाइल में एकत्र किए गए हैं उन्हें पूर्ण प्रवर्तक-सूचना से छूट दी जाए बशर्ते उनमें प्रवर्तक की खाता संख्या अथवा उपर्युक्त (ख) की भाँति अद्वितीय संदर्भ संख्या शामिल हो; (घ) 50,000 रुपए और इसके अधिक के देशी वायर अंतरण में शामिल सूचना में पूर्ण प्रवर्तक सूचना उदाहरणार्थ, नाम, पता और खाता संख्या तब तक शामिल रहे जब तक कि अन्य साधनों से हिताधिकारी बैंक को प्रवर्तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है; (ङ) यदि बैंक के पास यह विश्वास करने के लिए कारण न हो कि ग्राहक जानबूझकर रिपोर्टिंग अथवा निगरानी से बचने के लिए कई हिताधिकारियों को 50,000/- रुपए से कम का वायर अंतरण कर रहा है तो बैंक अंतरण को प्रभावी करने से पहले ग्राहक की संपूर्ण पहचान का अवश्य आग्रह करे; और (च) जब धन-अंतरण के लिए कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड उपयोग में लाया जा रहा हो तो उपर्युक्त (छ) के अनुसार आवश्यक सूचना संदेश में शामिल करना अपेक्षित है। साथ ही, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गयी अपेक्षानुसार वायर अंतरण के साथ भेजी गयी प्रवर्तक सूचना को दस वर्ष तक रखा जाए। यदि कोई विदेशी आदेशकर्ता बैंक प्रेषक के बारे में सूचना प्रस्तुत नहीं करता है तो प्राप्तकर्ता बैंक को चाहिए कि वह आदेशकर्ता बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध सीमित या समाप्त कर दे।

2.114 ये अनुदेश देशी वायर अंतरण लेन-देन के लिए भी लागू हैं। सरकार द्वारा 24 मई 2007 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) नियमावली में एक संशोधन अधिसूचित किया गया जिसने वित्तीय आसूचना इकाई-भारत(एफआइयू-आइएनडी) को बैंकों द्वारा किसी संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) करने के एक आधार के रूप में संभावित आतंकवादी वित्तीय सहायता पर संदेह को शामिल करके संदेहास्पद लेन-देन की परिभाषा को व्यापक बना दिया है।

वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति

2.115 एक लचीली और सु-नियंत्रित वित्तीय प्रणाली की संरचना करने को समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए व्यापक रूप से एक अनिवार्य शर्त माना जाता है। अतः भारत में नियंत्रक प्राधिकारियों का यह प्रयत्न रहा है कि घरेलू स्थितियों में उपयुक्त ढंग से अपनाई जाने योग्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सर्वोत्तम मानकों के समरूप एक सुरक्षित, सुदृढ़ और सक्षम वित्तीय प्रणाली विकसित की जाए। वर्ष 2001 में विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) के एक सबसे पहले वाले सदस्य देश के रूप में स्वैच्छिक सहभागिता करने के अलावा भारत ने भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानक और कूट समिति (अध्यक्ष : डॉ. वाइ.वी.रेड्डी) द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानदंड और कूटों के सभी क्षेत्रों में एक स्व-आकलन कराया। वर्ष 2001 के वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) से प्राप्त अनुभव तथा सितंबर 2005 में विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित वित्तीय क्षेत्र आकलन पर पुस्तिका में निहित प्रासंगिकता और उपयोगिता के विश्लेषणात्मक ब्यौरे को पहचानते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक स्व-आकलन करने का निर्णय लिया। तदनुसार, सितंबर 2006 में वित्तीय क्षेत्र आकलन पर एक समिति (अध्यक्ष : डॉ. राकेश मोहन, सह-अध्यक्ष :डॉ. डी. सुब्बाराव) का गठन किया गया (बॉक्स.II.12)।

बॉक्स II.12 : वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति

भारत सरकार द्वारा सितंबर 2006 (अध्यक्ष : डॉ. राकेश मोहन, सह अध्यक्षः डॉ. डी. सुब्बाराव) में वित्तीय क्षेत्र आकलन पर एक समिति (सीएफएसए) का गठन निम्नलिखित विषयों के विचारार्थ किया गया :

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित वित्तीय क्षेत्र आकलन पर पुस्तिका में तथा भारतीय वित्तीय क्षेत्र के वर्तमान और विकसित संदर्भ में वित्तीय क्षेत्र आकलन के लिए प्रासंगिक किसी अन्य संगत दस्तावेजों में समुचित क्षेत्रों, तकनीकों और पद्धतियों की पहचान करना ।
- भारतीय प्रणाली में अपनाई गई संगत पद्धति और तकनीक को लागू करना तथा भारतीय वित्तीय क्षेत्र के विकास, दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और विवेकशील पहलुओं सहित व्यापक और वस्तुपरक आकलन का प्रयत्न करना;
- भारत के लिए यथासंगत विशिष्ट विकास और स्थिरता मामलों का विश्लेषण करना;
- भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार की वेबसाइटों के माध्यम से अपनी रिपोर्ट (रिपोर्टें) उपलब्ध कराना।

आकलन का केंद्रीय पटल तीन पारस्परिक प्रवर्तन स्तंभों यथा ; (i) वित्तीय स्थिरता आकलन और तनाव जाँच; (ii) विधिक, मूलभूत सुविधा संबंधी और बाजार विकास मामले; तथा (iii) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानदंड और कूटों के कार्यान्वयन में स्थिति और प्रगति के आकलन पर आधारित है। आकलन की सहायता के लिए वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति (सीएफएसए) ने (i) वित्तीय स्थिरता और तनाव जाँच (ii) वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण (iii) संस्थाएं और बाजार संरचना; तथा (iv) पारदर्शिता मानदण्ड के आकलन के लिए चार परामर्शी पैनल गठित किए हैं। ये परामर्शी पैनल अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें उपर्युक्त प्रत्येक पहलू शामिल होगा। इस परामर्शी पैनल में गैर-सरकारी विशेषज्ञ शामिल हैं जिन्हें संबंधित क्षेत्रों का व्यापक ज्ञान है तथा समान विशेषज्ञता वाले पदाधिकारी विशेष आमंत्रियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैनल को यह विकल्प होगा कि वे किसी अन्य विशेषज्ञ को जिसे वे योग्य समझें विशेष आमंत्रिती के रूप में सहयोजित करें।

वित्तीय स्थिरता और तनाव जाँच पर परामर्शी पैनल (अध्यक्ष :श्री एम.बी.एन.राव) वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता और स्थिरता का आकलन करने के लिए समष्टि - विवेकशील निगरानी (प्रणाली स्तरीय तनाव जाँच सहित) संचालित करेगा और वित्तीय संरचना और प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा एक मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में इसके विकास के लिए उपाय सुझाएगा।

अन्य तीन पैनल (i) विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान में यथानिर्धारित और लागू प्रासंगिक मानदण्डों एवं कूटों की पहचान करेंगे और उन पर विचार करेंगे; (ii) भारतीय संदर्भ में उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करेंगे; (iii) संबंधित मानदण्डों के अनुपालन में अंतर की पहचान करेंगे; और (iv) एक मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में अनुपालन के प्रति संभावित रूपरेखा सुझाएंगे। वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण परामर्शी पैनल (अध्यक्ष : श्री एम.एस.वर्मा) बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय बाजारों और बीमा से संबंधित वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए लागू प्रासंगिक मानदंडों एवं कूटों पर विचार करेगा। संस्था और बाजार संरचना परामर्शी पैनल (अध्यक्ष : श्री सी.एम. वासुदेव) दिवालिया कानूनों, लेखांकन और लेखा-परीक्षा, भुगतान और निपटान प्रणालियों तथा कंपनी अभिशासन नीतियों के लिए लागू प्रासंगिक मानदण्डों एवं कूटों पर विचार करेगा। पारदर्शिता मानदण्ड परामर्शी पैनल (अध्यक्ष : श्री नितीन देसाई) मौद्रिक, वित्तीय, राजकोषीय और आँकड़ा प्रसारण नीतियों में पारदर्शिता के लिए लागू प्रासंगिक मानदंडों एवं कूटों पर विचार करेगा।

पैनल को तकनीकी नोट और पृष्ठभूमि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति (सीएफएसए) ने उपर्युक्त सभी विषयवाले क्षेत्रों में मुख्यतः विनियामक एजेंसियों और सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले अधिकारियों को शामिल करते हुए एक तकनीकी दल पैनल का गठन किया था जो संबंधित क्षेत्रों में तकनीकी कार्य और परामर्शी की सहायता कर रहा है।

स्व-आकलन की विश्वसनीयता बढ़ाने की दृष्टि से परामर्शी पैनल का आकलन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करेगा। परामर्शी पैनल रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय विशिष्ट समीक्षा को ध्यान में रखा जाएगा।

वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति (सीएफएसए) परामर्शी पैनल रिपोर्ट तथा अपनी रिपोर्ट भी प्रकाशित करेगा। वित्तीय क्षेत्र की वर्तमान सुदृढ़ता और कमजोरियों तथा मानदण्डों के संबंध में स्थिति के वस्तुपरक विश्लेषण के आधार पर वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति से आशा की जाती है कि वह मध्यावधि परिदृश्य में अगले सुधारों के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करेगी। वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति (सीएफएसए) मार्च 2008 तक आकलन पूरा करेगी।

6. पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षी नीति

2.116 विनियमित संस्थाओं क्षमता और मजबूती में एवं बाजारों की स्थिरता में सुधार लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र के पर्यवेक्षी पहलुओं पर विशेष ध्यान दे रहा है। पर्यवेक्षण पर समग्र ध्यान देने के लिए 16 नवंबर 1994 को वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का गठन किया गया था। जुलाई 2006-जून 2007 के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बारह बैठकें हुई हैं। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने न केवल संस्था - विशिष्ट पर्यवेक्षी महत्व के संबंध में कार्रवाइयाँ प्रस्तावित की हैं बल्कि उसने कई विनियामक और पर्यवेक्षी नीति मामलों पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराए हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के कार्यों का विस्तृत ब्यौरा अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

वित्तीय समूहों (कांग्लोमेरेट्स) की निगरानी व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन

2.117 वित्तीय समूह (कांग्लोमेरेट्स) (एफसी) पर्यवेक्षण की प्रक्रिया वैश्विक स्तर पर विकसित हो रही है। भारत में इसकी शुरुआत उस समय हुई जब जून 2004 में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं (एसआइएफआइ - सामान्यतः एफसी के रूप में विख्यात) की निगरानी पर एक अंतर - विनियामक कार्य दल (संयोजक : श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) की रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद वित्तीय समूह निगरानी ढाँचे को लागू किया गया। प्राप्त अनुभवों के आधार पर वित्तीय समूह निगरानी ढाँचे को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य विनियामकों के परामर्श से कई पहल किए गए हैं। इस संबंध में 2006-07 के दौरान दो प्रमुख प्रयास किए गए। एक, वित्तीय समूहों की पहचान के लिए मानदण्डों को संशोधित किया गया। पहचान किए गए कई वित्तीय समूहों के पास अपनी सीमा में न केवल बहुत कम संस्थाएँ थीं बल्कि एक बाजार क्षेत्र के बाहर सीमित परिचालन भी था। वित्तीय समूहों में बहुत कम आंतर-समूह लेन-देन था। कुछ समूहों में आवास वित्त इकाई और प्राथमिक व्यापारी सहायक कंपनी के विलय ने समूह में संस्थाओं की संख्या को और कम कर दिया था। अतः यह महसूस किया गया कि वित्तीय समूह निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसे कम महत्त्वपूर्ण समूह को लक्ष्य बनाना आवश्यक नहीं है। अतः पर्यवेक्षी अभिरुचि के बड़े वित्तीय समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वित्तीय समूहों की पहचान हेतु मानदण्डों पर पुनः दृष्टि डाली गई । संशोधित मानदण्डों के अनुसार, किसी वित्तीय समूह को किसी ऐसे समूह के अधीन कंपनियों के समूह[3] के रूप में पारिभाषित किया गया है जिसकी कम-से-कम दो वित्तीय बाजार क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति हो। बैंकिंग, बीमा, म्युचुअल फण्ड और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जमाराशि स्वीकार करनेवाली और जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली) को वित्तीय बाजार क्षेत्र समझा जाता है। दूसरा, पर्यवेक्षी मामलों पर समुचित ध्यान केंद्रित करने के लिए वित्तीय समूह विवरणियों को संशोधित किया गया था। तिमाही वित्तीय समूह विवरणी की प्राप्ति और विश्लेषण वित्तीय समूह निगरानी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण आधार है। आंतर-समूह लेन-देन और एक्सपोजर पर ध्यान केंद्रित करते समय वित्तीय समूह विवरणी में वित्तीय मानदण्डों, विभिन्न बाजारों में एक्सपोजर, परस्पर-सहबद्धता तथा बैक-ऑफिस व्यवस्था के सामान्यीकरण पर सूचना मंगायी गई। तिमाही वित्तीय समूह विवरणी फॉर्मेट को अन्य बातों के साथ सकल/निवल अनर्जक आस्तियों तथा क्षतिग्रस्त आस्तियों पर किए गए प्रावधानों, अशोध्य ऋण, किसी समूह संस्था में धोखाधड़ी, किसी समूह द्वारा 'रोक रखने' की कार्रवाई, अन्य आस्तियों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन पर सूचना को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। जब वित्तीय समूह निगरानी ढाँचा विशिष्ट वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं यथा, रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा नियंत्रित संस्थाओं की देखभाल करता है, संपूर्ण समूह से उत्पन्न होनेवाली प्रणालीगत जोखिम के बेहतर मूल्यांकन के लिए समूह की विनियमित और अविनियमित संस्थाओं सहित आंतर - समूह लेन-देन और एक्सपोजर पर अधिकार करने के लिए विवरणी के फॉर्मेट को उपयुक्त ढंग से संशोधित किया गया है।

बैंकों में अनुपालन कार्य

2.118 चूँकि अनुपालन कार्य आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंध प्रक्रिया के साथ अभिशासन का एक अभिन्न भाग है, बैंकों के अनुपालन कार्य पर दिशानिर्देश 20 अप्रैल 2007 को जारी किए गए (बॉक्स II.13)।

धोखाधड़ी के विरुद्ध रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए प्रतिरोधक उपाय

2.119 रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं यथा, वाणिज्यि बैंक, शहरी सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय

[3] समूह : निम्नलिखित संबंधों में से किसी के माध्यम से परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक को शामिल करनेवाली एक व्यवस्था : सहायक - मूल (एएस 21 के अनुसार परिभाषित), संयुक्त उद्यम (एएस23 के अनुसार परिभाषित), सहबद्ध (एएस27 के अनुसार परिभाषित), प्रवर्तक - प्रवर्तिती, एक संबंधित पक्ष (एएस 18 के अनुसार परिभाषित), सामान्य ब्रॉण्ड नाम और 20 प्रतिशत और इससे अधिक ईक्विटी शेयरों में निवेश। समूह संस्था : उपर्युक्त व्यवस्था में शामिल कोई संस्था।

बॉक्स II.13: बैंकों में अनुपालन कार्य

बैंकों में अनुपालन कार्य उनकी कंपनी अभिशासन संरचना में एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। घोष समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में बैंकों ने पहले ही अनुपालन प्रक्रिया को लागू कर दिया है। तथापि, प्रक्रियाएं और संगठनात्मक ढाँचे बैंकिंग कारोबार की बढ़ी हुई जटिलताओं और परिष्करण के साथ नहीं चल सके। अधिकांश बैंकों में भारी आर्थिक लागतों को लाने वाली अनुपालन असफलताओं से उत्पन्न 'अनुपालन जोखिमट और ख्याति जोखिम को अभी भी अनुपालन कार्य के रूप में पहचाना जाना है। बैंकों द्वारा अनुपालन जोखिम प्रबंध की आवश्यकता को समेकित जोखिम प्रबंध अथवा बैंकों में उद्यम-व्याप्त जोखिम प्रबंध संरचना के एक मुख्य पहलू के रूप में पहचाना गया। तदनुसार, वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बैंकों में मजबूत अनुपालन मानदण्डों की आवश्यकता पर जोर डाला गया। बैंकों में अनुपालन व्यवस्था की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने के लिए बैंकिंग उद्योग की सहभागिता के साथ रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यदल ने अनुपालन कार्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय अनुशंसित किए हैं। इन अनुशंसाओं के आधार पर 20 अप्रैल 2007 को बैंकों के अनुपालन कार्य पर दिशानिर्देश जारी किए गए। दिशानिर्देश में बैंकिंग पर्यवेक्षण की बासेल समिति द्वारा ''अनुपालन और बैंकों में अनुपालन कार्य'' पर जारी उच्च स्तरीय पेपर तथा भारत में परिचालनात्मक वातावरण के अनुरूप अनुपालन कार्य से संबंधित कतिपय सिद्धांतों, मानदण्डों और प्रक्रियाओं को लागू करने का सुझाव है। यह दिशानिर्देश रिजर्व बैंक के इस विचार को निरूपित करता है कि अनुपालन आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंध प्रक्रिया सहित अभिशासन का एक अभिन्न अंग है। इन दिशानिर्देशों में बैंक-प्रमुख वित्तीय समूहों को उनके 'समूह-व्याप्त अनुपालन जोखिमट के प्रबंधन में मार्गदर्शन देना अभिप्रेत है। इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :

- प्रत्येक बैंक एक औपचारिक अनुपालन कार्य लागू करेगा और अपने बैंक के लिए एक अनुपालन अधिकारी को पदनामित करेगा। बैंक अनुपालन अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह बैंक द्वारा सामना की जानेवाली अनुपालन जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने में शीर्ष प्रबंध तंत्र की सहायता करे।
- किसी बैंक की सुदृढ़ अनुपालन प्रणाली में बैंक के मूल उद्देश्य, अनुपालन विभाग की भूमिका और संरचना, इसके स्टाफ की संरचना और उनके विशिष्ट दायित्व को रूपायित करते हुए एक सुव्यवस्थित अनुपालन नीति शामिल रहनी चाहिए। इस नीति की बैंक के बोर्ड द्वारा वार्षिक समीक्षा की जाए।
- शाखा नेटवर्क, कारोबार परिचालन की मात्रा और जटिलता, उत्पादों और दी गई सेवाओं के परिष्करण के आधार पर प्रत्येक बैंक अपने संगठनात्मक ढाँचे और अनुपालन इकाई की संरचना पर निर्णय ले। तथापि, संरचना इन दिशानिर्देशों के समग्र ढाँचे के भीतर निर्धारित की जाए और सभी प्रकार के हित-संघर्ष से बचा जाए।
- प्रधान कार्यालय का अनुपालन विभाग प्रत्येक कारोबारी स्वरूप, उत्पाद और प्रक्रिया में अनुपालन जोखिम के स्तर की पहचान करने के क्षेत्र में केंद्रीय भूमिका निभाए एवं परिचालनात्मक संस्थाओं को अनुदेश जारी करे तथा ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए प्रस्ताव तैयार करे। इसे अपने स्टाफ के बीच अनुपालन असफलताओं के उदाहरणों को सावधिक रूप से प्रतिरोधक अनुदेशों के साथ परिपालित करना चाहिए।
- अनुपालन कार्य का दायित्व एक अनुपालन कार्यक्रम, जो अपनी योजनाबद्ध गतिविधियाँ शुरू करता है, के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। अनुपालन कार्यक्रम जोखिम आधारित तथा अनुपालन के प्रधान की देखरेख के अधीन हो ताकि जोखिम प्रबंध कार्यों के बीच समन्वय और संपूर्ण कारोबार को समुचित रूप से शामिल किए जाने को सुनिश्चित किया जा सके। अनुपालन कार्य को अनुपालन कानूनों, नियमों और मानदण्डों पर वरिष्ठ प्रबंधन को सलाह और सहायता देनी चाहिए। इसे वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को नीतियों और प्रक्रियाओं तथा अनुपालन मैनुअल, आंतरिक आचार संहिता और व्यवहार दिशानिर्देशों जैसे अन्य दस्तावेजों के माध्यम से अनुपालन कानूनों, नियमों और मानदण्डों के समुचित कार्यान्वयन पर स्टाफ को लिखित मार्गदर्शन देने जैसी गतिवधियों पर जानकारी भी देनी चाहिए।
- बैंक, विविध विधिमान्य कारणों से विभिन्न कार्यक्षेत्रों में कारोबार करना पसंद कर सकते हैं। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाए कि वे ऐसे सभी कार्यक्षेत्रों में लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करें और यह कि अनुपालन कार्य का संगठन और संरचना तथा इसके दायित्व स्थानीय वैध और विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। स्थानीय कारोबार के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रत्येक कार्यक्षेत्र विशिष्ट अनुपालन दायित्व का पालन बैंक के अन्य जोखिम प्रबंध कार्यों के सहयोग से अनुपालन के प्रधान की देख-रेख में समुचित स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता रखनेवाले व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है।

कंपनियों में पाई गई धोखाधड़ी की केंद्रीकृत निगरानी के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत जून 2004 में एक धोखाधड़ी निगरानी कक्ष (एफआरएमसी) का गठन किया गया। सभी वाणिज्य बैंक धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली (एफआरएमएस) के माध्यम से एफआरएमसी को ऑन-लाइन धोखाधड़ी रिपोर्टें दर्ज कर सकते हैं । रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए तिमाही विवरण के माध्यम से धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी करने के लिए बैंकों द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मामलों की प्रगति, देयराशियों की वसूली, स्टाफ के दायित्व की जाँच और बैंकों में प्रणाली और नियंत्रण में कमियों के परिशोधन में प्रगति की निगरानी करता है।

2.120 क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली में कार्ड की हू-बहू नकल बनाया जाना (क्लोनिंग) और जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना शामिल है। नकदी के आहरण को प्रभावित करने के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा एटीएम पर क्रेडिट/डेबिट कार्डों के अलावा प्लास्टिक कार्ड के उपयोग का प्रयत्न किए जाने जैसी रिपोर्ट की गई घटनाओं की दृष्टि से ग्राहक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और उनके द्वारा परिचालनात्मक / सुरक्षा उपाय किए जाने के

लिए बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए ताकि ऐसी धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। कतिपय व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा ग्राहक फंसाने[4] जैसे हमलों (फिशिंग) को रोकने में सहायता के लिए फरवरी 2006 में बैंकों को विस्तृत अनुदेश जारी किए गए। अधिकांशतः बिम्ब-प्रतिरोपण (स्कीमिंग) के माध्यम से कार्ड की हू-बहू नकल किए जाने (क्लोनिंग) में कतिपय बिम्ब-प्रतिरोपण उपकरणों का उपयोग करते हुए किसी जाली क्रेडिट कार्ड की चुम्बकीय पट्टी में असली क्रेडिट कार्ड से आँकड़ों का अंतरण शामिल है। जून 2006 में रिज़र्व बैंक ने विभिन्न उपायों की सूची देते हुए वाणिज्य बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए जिसकी शुरुआत उन्हें बिम्ब-प्रतिरोपण से लड़ने में करनी थी।

2.121 मई 2006 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कुछ सर्वोत्तम व्यवहार परिचारित किए जिन्हें आवास ऋण के क्षेत्रों में धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी करने के लिए अंगीकृत किया जा सकता था। धोखेबाज उधारकर्ताओं द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली में संपत्ति के जाली दस्तावेजों, जाली वेतन पर्चियों और आयकर प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण द्वारा बहुविध वित्तीय सहायता प्राप्त करना शामिल था। रिज़र्व बैंक की जानकारी में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें भवन निर्माताओं ने भोलेभाले उधारकर्ताओं का उपयोग ऋण प्राप्त करने के लिए किया और तब आय को दूसरी ओर मोड़ दिया। इसके अतिरिक्त भवन निर्माताओं के नाम में खोले गए जाली खातों के माध्यम से निधियां भी निकाली गयीं।

2.122 जाली ई-मेल और फैक्स संदेशों के माध्यम से अनिवासी खातों से निधियों के धोखेबाजी से अंतरण की कतिपय घटनाओं की रिपोर्ट भी बैंकों द्वारा की गई। नवंबर 2006 में, रिज़र्व बैंक ने ई-मेल/ फैक्स संदेशों के माध्यम से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर अनिवासी खातों से निधियों का विप्रेषण करते समय बैंकों को सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी। उन्हें कहा गया कि वे विप्रेषण प्रभावी करने के पहले संदेशों के पूर्णतः आधिकारिक होने को सत्यापित करने के लिए समुचित प्रणाली लागू करें।

2.123 वर्ष के दौरान मालगोदाम रसीदों के बदले वित्तीय सहायता के क्षेत्र में धोखाधड़ी के कई मामले रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए। ऐसे सभी मामलों में, मालगोदामों ने उधारकर्ताओं को ऐसी रसीदें जारी कीं जिनकी कीमत वास्तविक भंडार से काफी अधिक थी जिससे उधारकर्ताओं ने पण्य वस्तुओं के भंडार के बदले काफी अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त की। यह धोखाधड़ी मुख्यतः गिरवी भंडार के ऊपर पर्याप्त पर्यवेक्षण/नियंत्रण के अभाव में की गई। ऐसी वित्तीय सहायता के बारे में सभी बैंकों को सतर्क करने की दृष्टि से फरवरी 2007 में रिज़र्व बैंक ने कार्यप्रणाली पर दिशानिर्देश जारी किया।

7. वित्तीय बाजार

2.124 रिज़र्व बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों को विस्तार देने और सघन बनाने के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान कई महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए। वित्तीय बाजारों के लिए संस्थागत संरचना को, बाजार सहभागियों को अपना लेन-देन करने के लिए महत्तर लचीलेपन की अनुमति देते हुए, प्रोसेस के मामले में और सुदृढ़ किया गया।

मुद्रा बाजार में गतिविधियाँ

2.125 अप्रैल 2005 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुपालन में माँग/सूचना और सावधि मुद्रा बाजार में कारोबार के लिए एक स्क्रीन आधारित परक्राम्य भाव-बोली प्रणाली (एनडीएस-कॉल) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) द्वारा विकसित की गई जो 18 सितंबर 2006 को शुरू की गई, जिसमें बाजार के ग्राहक ऐच्छिक आधार पर भाग ले सकते थे। लेन-देन को सरल बनाने के लिए सुधार में सहायता के अलावा इस प्रणाली ने महत्तर पारदर्शिता और सक्षम मूल्य प्राप्ति को प्रकट किया है। एनडीएस-कॉल स्क्रीन की काफी तरजीह दी जा रही है, जो वर्तमान में कॉल मुद्रा की कुल मात्रा का लगभग 75 प्रतिशत है।

2.126 रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2007 में ब्याज दर व्युत्पन्नी के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किया। काउंटर पर ही (ओटीसी) व्युत्पन्नी लेन-देन के संबंध में यह आवश्यक हो गया कि व्यापार सूचना के पारदर्शी अभिग्रहण और प्रसारण के साथ-साथ कुछ विद्यमान जोखिमों के समाधान के लिए एक सक्षम व्यापारोपरांत संसाधकीय मूलभूत सुविधा की व्यवस्था की जाए। शुरुआत के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड को सूचित किया गया है कि वह रुपया ब्याज दर अदला-बदली (आइआरएस) के लिए एक कारोबार रिपोर्टिंग प्लॅटफार्म तैयार करे। इस रिपोर्टिंग मोड्यूल को 31 अगस्त 2007 को शुरू किया गया ।

[4] ग्राहक फंसाने (फिशिंग) में बैंकों, ई-रिटेलरों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के ब्रॉण्ड नाम अपहत कर लेना शामिल है जिसमें उपयोगकर्ता को निजी सूचना जिसका उपयोग पहचान की चोरी के लिए किया जाता है के अभ्यर्पण करने में घोटाले के किसी प्रयत्न में एक स्थापित विधिमान्य उद्यम होने का झूठा दावा करते हुए उपयोगकर्ता को एक ई-मेल भेजा जाता है। ई-मेल किसी वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के जाने के लिए निर्देश करता है जहाँ उसे व्यक्तिगत सूचना जैसे कि पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड, सामाजिक सुरक्षा और बैंक खातों की संख्या को अद्यतन करने के लिए कहा जाता है। तथापि, वेबसाइट जाली होती है और केवल उपयोगकर्ता की सूचना चुराने के लिए बनाई जाती है। इस प्रकार प्राप्त सूचना का उपयोग धोखाधड़ी के लिए किया जाता है।

2.127 ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए मजबूत ब्याज दर फ्यूचर बाजार को प्रभावी कारक के रूप में पहचान देने के लिए और मुद्रा, विदेशी विनिमय एवं सरकारी प्रतिभूति बाजारों पर रिज़र्व बैंक की तकनीकी परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के अनुपालन के लिए रिज़र्व बैंक ने 9 अगस्त 2007 को श्री वी.के. शर्मा की अध्यक्षता में ब्याज पर एक कार्य दल का गठन किया जो प्रोडक्ट डिज़ाइन मसलों के विशेष संदर्भ में ब्याज दर फ्यूचर के बारे में प्राप्त अनुभव की समीक्षा करेगा तथा लिखत को सक्रिय बनाने के लिए सिफारिश करेगा। उक्त दल इस क्षेत्र में पिछली समितियों की सफिारिशों को फिर से देखेगा और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय विनियामक अपेक्षाओं तथा अनिवासियों की सहभागिता की व्याप्ति और विस्तार की जाँच करेगा। उक्त रिपोर्ट को मुद्रा, विदेशी विनिमय और सरकारी प्रतिभूति बाजार के बारे में तकनीकी सलाहकार समिति से और चर्चा करने के बाद तीन महीनों के भीतर (31 दिसंबर 2007 तक) रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।

सरकारी प्रतिभूति बाजार की गतिविधियां

2.128 सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम में रिज़र्व बैंक की सहभागिता को प्रतिबंधित करने वाला राजकोषीय जबावदेही और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003, अप्रैल 1, 2006 से प्रभावी हुआ। 2006-07 के दौरान नये वातावरण की आवश्यकता के अनुसार कई कदम उठाए गये जिससे सरकारी प्रतिभूति बाजार और गहरा एवं व्यापक हो। इसमें केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में शार्ट सेलिंग को पांच दिनों तक बढ़ाना, 'जब जारी' बाजार की शुरुआत, प्राथमिक डीलर (पी.डी) कारोबार में विविधता की अनुमति, प्राथमिक डीलरों को हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि सहायता की संशोधित स्कीम की शुरुआत, और नये सहभागियों को वार्तातय लेन-देन प्रणाली-आर्डर मैचिंग (एनडीएसओएम) का विस्तार शामिल हैं।

2.129 ऋण प्रबंधन रूपरेखा को और मजबूती प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार की 'पुनःजारी' दिनांकित प्रतिभूतियों में 'जब जारी' दिशानिर्देश मई 2006 में जारी किए गये और इस खंड में व्यापार अगस्त 2006 में प्रारंभ हुआ। वर्तमान में केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में पुनःजारी और नई जारी दोनों प्रतिभूतियों में चयनात्मक आधार पर 'जब जारी' व्यापार किया जा सकता है। डब्ल्यू आई ट्रेडिंग के लिए बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को खुली स्थिति सीमा के तहत केवल एन डी एस-ओ एम में ही अनुमति है। 'जब जारी' ट्रेडिंग की अनुमति सभी एनडीएस सदस्यों को सिर्फ एनडीएस-ओएम में, खुली स्थिति सीमा के अधीन, दी जा सकती है। तथापि, 'जब जारी' बाजार में कमी की स्थिति सिर्फ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा चलायी सकती है।

2.130 बाजार सहभागियों को ब्याज दर अनुमानों को दोनों तरफ से देखने के लिए तथा ब्याज दर जोखिम के बेहतर प्रबंधन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों पर गठित आंतरिक तकनीकी दल ने केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में चरणबद्ध तरीके से शार्ट सेलिंग शुरू करने की सिफारिश थी। इसके प्रथम चरण में बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों को 28 फरवरी 2006 से आंतर दिवसीय शार्ट सेलिंग की अनुमति प्रदान की गई। तदुपरांत 31 जनवरी 2007 को सहभागियों को उसी दिन की ट्रेडिंग सहित पांच ट्रेडिंग दिवसों तक अपनी शार्ट सेलिंग स्थिति को खुली रखने की अनुमति प्रदान की गई। सहभागियों को निपटान चक्र के दौरान शार्ट स्थिति में रहने के मद्देनजर, बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों को शार्ट सेल लेन-देन दायित्वों की सुपुर्दगी पूरी करने के लिए रिवर्स रिपो (एल ए एफ के अलावा) के तहत प्राप्त प्रतिभूतियों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई।

2.131 सरकारी प्रतिभूतियों में स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग के लिए कार्यदल (अध्यक्षः डॉ. आर.एच. पाटील) की सिफारिशों के अनुसरण में और सरकारी प्रतिभूति बाजार के सहभागियों को दक्ष एवं उन्नत प्लेटफार्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से 1 अगस्त 2005 से एन डी एस - ओ एम प्लेटफार्म परिचालित हुआ था। इसमें शुरुआत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों की दिनांकित प्रतिभूतियां ही स्वीकारी जाती थीं पर 31 जुलाई 2006 को इसे खजाना बिलों को स्वीकारने के लिए उन्नत किया गया। एन डी एस ओएम की सदस्यता शुरुआत में रिजर्व बैंक विनियमित एन डी एस सदस्यों (बैंकों एवं प्राथमिक डीलरों) के लिए ही थी। बाद में इसमें बीमा कंपनियां, पारस्परिक निधियां और चुनिंदा बड़ी भविष्य निधियों को शामिल किया गया। इसके अलावा खुदरा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एन डी एस - ओ एम का एक अलग मोड्यूल परिचालित किया गया जिससे ओड्ड लॉट में (पांच करोड़ के मानक लॉट से कम) ट्रेडिंग किया जा सके।

2.132 एनडीएस-ओएम की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए 25 मई 2007 को एनडीएस सदस्यों के पास गिल्ट खाते रखने वाली अर्हताप्राप्त संस्थाओं को पहुंच उपलब्ध करायी गयी। अर्हताप्राप्त संस्थाओं में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए विधि या विनियम द्वारा अपेक्षित सभी संस्थाएं शामिल हैं, यथा जमा लेनेवाली एनबीएफसी, भविष्य निधि, पेंशन फंड, म्युचुअल फंड, बीमा कंपनियां, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और न्यास। ये स्थाएं एनडीएस-ओएम के सदस्यों अर्थात् ग्राहकों के सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) मार्ग का प्रयोग करते हुए एनडीएस-ओएम में आर्डर

दे सकती हैं। इन लेनदेनों का निपटान सीएसजीएल खाता और एनडीएस-ओएम सदस्यों के चालू खाता के माध्यम से किया जाता है। यद्यपि सिस्टम सभी गिल्ट खातेदारों की ओर से सीएसजीएल लेनदेनों के जरिये सौदा करने की अनुमति देता है, संबंधित अभिरक्षकों (सीएसजीएल खातेदारों) की यह जिम्मेदारी है कि वे इस बात की सतर्कता बरतें और 'अर्हता' प्राप्त न करनेवाली संस्थाओं के खाते पर किसी लेनदेन की अनुमति न दी जाए। उन्हें एक प्रक्रिया तैयार कर ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि एनडीएस-ओएम पर आर्डर रखने की अनुमति देने के पहले गिल्ट खातेदार पात्रता मानदंड को पूरा कर लें। 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में, व्यवस्थागत तौर पर महत्वपूर्ण जमा न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) को अर्हताप्राप्त संस्थाओं के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव था।

2.133 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए आंतरिक तकनीकी दल की सिफारिशों के अनुसरण में और सरकारी प्रतिभूति बाजार में चलनिधि निविष्टि के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के समेकन को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने सक्रिय समेकन की एक योजना को अंतिम रूप देकर अनुमोदन दिया। इस योजना के तहत वापस खरीदी गई प्रतिभूतियों की पहचान इसके लिए बने मध्यस्थ समूह द्वारा किया गया। वर्ष 2007-08 के केंद्रीय बजट में केन्द्र सरकार ने इस योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपए प्रीमियम भुगतान के लिए उपलब्ध कराये। प्रतिभूतियों को वापस खरीदने की वास्तविक प्रक्रिया 2007-08 के दौरान प्रारंभ होने की संभावना है।

2.134 वर्ष 2006-07 के दौरान प्राथमिक डीलरों के परिचालन से संबंधित कई अनुदेश / दिशा-निर्देश भी जारी किये गये थे। इनमें शामिल हैं : संपूर्ण निर्गम (इश्यू) को अंडरराइट करने की जिम्मेवारी प्राथमिक डीलरों को सौंपना तथा प्राथमिक डीलरों की गतिविधियों को व्यापक करना एवं इनमें विविधता लाना।

विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां

2.135 वर्तमान वास्तविकताओं की पृष्ठभूमि में तथा पूंजी खाते की परिवर्तनीयता के लिए भावी मार्ग का सुझाव देने के लिए रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करते हुए पूंजी खाते की पूर्णपरिवर्तनीयता पर एक समिति (अध्यक्ष : श्री. एस.एस. तारापोर) का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2006 में प्रस्तुत की। वित्तीय बाजारों के विकास से संबंधित कई सिफारिशें करने के अलावा समिति ने सिफारिश की कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत मौजूदा विनियमों की पुनः जाँच करने तथा उदारीकरण की राह में पहले से मौजूद परिचालनात्मक बाधाओं को दूर करने की सिफारिशें करने के लिए आंतरिक कार्य दल का गठन किया जाना चाहिए। तदनुसार, एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया गया तथा इस कार्य दल ने इसे सौंपा गया कार्य जनवरी 2007 में पूरा कर लिया। कार्य दल की कुछेक सिफारिशें वर्ष 2007-08 के लिए 24 अप्रैल 2007 को घोषित वार्षिक नीति वक्तव्य में लागू की गई थीं।

2.136 विदेशी मुद्रा सौदों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा इनमें बृहत्तर लोचता प्रदान करने की दृष्टि से निवासी व्यक्तियों की उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत निवासी व्यक्तियों के लिए विप्रेषण सीमा को दो चरणों में बढ़ाया गया। पहली बार दिसंबर 2006 में इसे 25,000 अमरीकी डालर (प्रत्येक पंचांग वर्ष) से बढ़ाकर 50,000 अमरीकी डालर (प्रत्येक वित्तीय वर्ष) किया गया तथा कुछ शर्तों के साथ मई, 2007 में इस सीमा को और बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डालर (प्रत्येक वित्तीय वर्ष) कर दिया गया। प्राप्त/खर्च न की गयी/प्रयोग न की गयी विदेशी मुद्रा को अभ्यर्पित करने के लिए विदेशी मुद्रा को प्राप्ति/खरीद/अधिग्रहण तिथि/यात्री की लौटने की तिथि, जैसा भी मामला हो, से छः माह की एकसमान अवधि की अनुमति दी गई है ।

2.137 अप्रैल 2007 में निवासी व्यक्तियों को अनुमति दी गई कि वे 1,00,000 अमरीकी डालर की वार्षिक सीमा तक अंतर्निहित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बगैर अपने विदेशी मुद्रा प्रत्याशित एक्सपोजरों सहित, जिन्हें मुक्त रूप से निरस्त और पुनः बुक किया जा सकता है, का फारवर्ड कांट्रेक्ट बुक करने के माध्यम से प्रबंध / बचाव कर सकते हैं।

2.138 नकदीकृत विदेशी मुद्रा का मूल्य 15,000/- रुपये से अधिक होने पर प्रतिभूति-पत्र पर जारी किये जाने वाले नकदीकरण प्रमाण-पत्र की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है तथा इसके बदले अब श्रेणी I के अधिकृत डीलर बैंक[5], ग्राहक के अनुरोध पर, बिना किसी राशि की सीमा के अपने लेटर-हेड (जिन पर बैंक का लोगो छपा हो) पर अधिकृत अधिकारियों के विधिवत हस्ताक्षर से नकदीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं।

[5] वर्तमान में विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए अधिकृत बैंकों (नामतः अनुसूचित वाणिज्य बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा शहरी सहकारी बैंक) को अधिकृत डीलरों की श्रेणी I में रखा गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार ये बैंक चालू और पूंजी खाते के सभी प्रकार के लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं।

2.139 अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को अनुमति दी गई है कि वे किसी भी मूल प्रयोजन हेतु अपने अनिवासी साधारण (एनआरओ) खातों के शेष में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक मिलियन अमरीकी डालर तक विप्रेषित कर सकते हैं। एनआरओ खातों के शेष में अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में उनके संसाधनों से अधिगृहीत अचल सम्पत्ति की बिक्री राशि या उत्तराधिकार या उपहार के रूप में प्राप्त की गई सम्पत्ति की बिक्री राशि शामिल हो सकती है। बृहत्तर लोचता प्रदान करने की दृष्टि से नवम्बर 2006 से अचल सम्पत्ति की बिक्री राशि के विप्रेषण के लिए 10 वर्ष की अवरुद्ध अवधि को हटा दिया गया है। 2006-07 में अनिवासी जमाओं में हुई भारी (उल्लेखनीय) वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा इन जमाओं के प्रति मंजूर किये जा रहे अग्रिमों में भारी वृद्धि की रिपोर्ट को देखते हुए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में आस्ति मूल्यों को और बढ़ाने के दबावों को टालने के लिए बैंकों द्वारा 31 जनवरी 2007 से एनआर (इ) आर ए तथा एफसीएनआर (बी) जमाओं के प्रति जमाकर्ताओं को या तीसरे पक्षों को 20 लाख रुपये से अधिक नये ऋण स्वीकृत करने पर रोक लगाई गई। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि अधिकतम सीमा की शर्त से बचने के लिए वे ऋण की राशि को कृत्रिम रूप से कम न करें।

2.140 कंपनियों को उनके बाह्य लेनदेनों में और अधिक लोच प्रदान करने की दृष्टि से कुछेक उपाय किये गये हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें शामिल हैं : अप्रैल 2007 से भारत में कंपनी शुरू करने से पूर्व वहन किये गये खर्चों को कुछेक सीमा तक प्रतिपूर्ति करने के लिए श्रेणी I के अधिकृत डीलर बैंकों को अनुमति देना; कंपनियों द्वारा कुछेक सीमाओं के तहत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दान के रूप में धन विप्रेषित किए जाने के लिए श्रेणी 'क' के अधिकृत डीलर बैंकों को अनुमति देना तथा आधारभूत परियोजनाओं को निष्पादित करने वाली भारतीय कंपनियों द्वारा बाहर से ली गई परामर्शदात्री सेवाओं के लिए विप्रेषण सीमा को अप्रैल 2007 से प्रत्येक परियोजना के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 10 मिलियन अमरीकी डालर करना।

2.141 निर्यातकों / आयातकों को उपलब्ध सुविधाओं को और उदारीकृत/सरल बनाया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें शामिल हैं: (i) नवम्बर 2006 से सभी श्रेणियों के विदेशी मुद्रा अर्जकों को उनकी शत-प्रतिशत विदेशी मुद्रा आय (पहले 50 प्रतिशत) को एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते में जमा करने की अनुमति देना; (ii) जनवरी 2007 से परियोजना / सेवा निर्यातकों को भारत से बाहर सृजित उनके अस्थायी नकदी अधिशेषों को भारत से बाहर निर्दिष्ट लिखतों / उत्पादों में लगाने की अनुमति देना; और (iii) फरवरी 2007 से सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी / फर्म द्वारा 'ऑन-साइट' ठेकों के संबंध में ठेका मूल्य की 30 प्रतिशत राशि को प्रत्यावर्तित करने की अपेक्षा को समाप्त करना। श्रेणी I के अधिकृत डीलर बैंकों को कुछ सुविधाएं भी स्वीकृत की गई हैं जिनमें अन्य के अलावा शामिल हैं : (क) फरवरी 2007 से निर्यात प्राप्तियों को निर्धारित छः माह की अवधि से अधिक समय में वसूल करने के लिए समय बढ़ाना; और (ख) नवम्बर 2006 से इन बैंकों को दिशा-निर्देशों की शर्त के तहत अपने ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करने की अनुमति देना।

2.142 इसके अलावा, कंपनियों को उनके विदेशी निवेशों के संबंध में और अधिक लोच प्रदान करने की दृष्टि से कई उपाय किये गये हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा, भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी निवेश सीमा (कुल वित्तीय प्रतिबद्धता) को बढ़ाना; (ii) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में सूचीबद्ध कंपनियों में पोर्टफोलियो निवेश की सीमा को बढ़ाना; तथा (iii) विदेशों में किये गये आरंभिक/आवर्ती खर्चों के लिए विप्रेषण सीमा को उदार बनाना शामिल हैं।

2.143 विदेशी मुद्रा जोखिमों का गतिशील तरीके से बचाव करने को सुकर बनाने तथा भारत में बाजार के आकार एवं विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा धारित बड़ी स्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि निरस्त सौदों को धीरे-धीरे और टुकड़ों में पुनः बुक करने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, फरवरी 2007 में श्रेणी I के अधिकृत डीलर बैंकों को अनुमति दी गई कि वे एफआइआइ को भारत में ईक्विटी और/या ऋण में उनके समस्त निवेश के बाजार मूल्य की दो प्रतिशत सीमा तक फारवर्ड संविदाओं को निरस्त करने तथा पुनः बुक करने की अनुमति दें। पुनः बुक करने के लिए पात्रता की गणना के लिए सीमा वित्तीय वर्ष के आरंभ में पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य पर आधारित है। बकाया संविदाएं हर समय अंतर्निहित निवेश द्वारा विधिवत् रूप से समर्थित होनी चाहिए। अधिकृत डीलर बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुल बकाया फारवर्ड संविदाओं का मूल्य पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य से अधिक नहीं हो।

2.144 अप्रैल 2007 के वार्षिक नीति वक्तव्य में, अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का अध्ययन करने तथा वर्तमान विधिक और विनियामक ढांचे के भीतर प्रस्ताव के परिचालन के लिए उपयुक्त ढांचे का सुझाव देने के लिए, मुद्रा फ्यूचर पर कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव किया गया। तदनुसार, मुद्रा फ्यूचर पर आंतरिक कार्यदल (अध्यक्षः श्री सलील गंगाधरन) का गठन किया गया, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ कुछ ऐसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जहां पूंजी नियंत्रण के माहौल में मुद्रा फ्यूचर एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। कार्य दल ने कई पणधारियों, जिनमें बैंक, औद्योगिक संघ, देशी और अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज शामिल हैं, की राय पर विचार किया तथा उसने मुद्रा, विदेशी

विनिमय और सरकारी प्रतिभूति बाजारों पर गठित तकनीकी सलाहकार समिति के बाजार प्रतिभागियों के साथ व्यापक और ब्योरेवार परामर्श किया। कार्यदल ने प्रस्तावित मुद्रा फ्यूचर एक्सचेंजों के लिए, विशेषतः सहभागिता, समाशोधन एवं निपटान, बाजार मध्यस्थ, मार्जिन, संविदा अभिकल्प और निगरानी प्रक्रिया, जैसे पहलुओं पर विभिन्न विकल्पों की जांच की। कार्यदल की रिपोर्ट का प्रारूप 16 नवंबर 2007 को अभिमत के लिए रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर दर्शाया गया।

8. बैंकों में ग्राहक सेवा

2.145 रिज़र्व बैंक ने 2006-07 के दौरान ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा रिज़र्व बैंक के साथ-साथ बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए। रिज़र्व बैंक में ग्राहक सेवा के लिए एक नया विभाग 'ग्राहक सेवा विभाग' बनाया गया जो 1 जुलाई, 2006 से कार्य कर रहा है। यह विभाग (i) बैंकों द्वारा शिकायत निवारण से संबंधित ग्राहक सेवा पहलुओं की देखरेख करता है; (ii) बैंकिंग लोकपाल योजना का प्रशासन करता है; तथा (iii) भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) के साथ समन्वय करता है। यह विभाग रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में ग्राहक सेवा के स्तर की भी देखरेख करता है। मासिक आधार पर रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में मासिक आधार पर प्राप्त शिकायतों के आंकड़े केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर मिलाये जाते हैं तथा इनका विश्लेषण किया जाता है तथा स्थानीय बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर इनकी समीक्षा की जाती है।

2.146 'कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स' का विमोचन 1 जुलाई 2006 को किया गया जो वैयक्तिक ग्राहकों के लिए विभिन्न बैंकिंग लेनदेनों के संबंध में उचित व्यवहार के न्यूनतम मानक के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक, बैंकों तथा बीसीएसबीआइ द्वारा किये गये पहले औपचारिक संयुक्त प्रयास का संकेत है। 84 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में से 70 बैंक बीसीएसबीआइ के सदस्यों के रूप में इस कोड को अपनाने के लिए कटिबद्ध हैं।

2.147 ग्राहकों द्वारा विभिन्न बैंकों के सेवा प्रभारों की तुलना को आसान बनाने के लिए 20 जुलाई 2006 को बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी वेबसाइट के होम पेज के प्रमुख स्थान पर 'सर्विस चार्जेस एण्ड फीस' शीर्षक के अंतर्गत सेवा प्रभारों और शुल्क की जानकारी दें। बैंकों की वेबसाइटों के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक 'वेबलिंक' प्रदान किया गया है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे ग्राहकों द्वारा शिकायत को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वेबसाइट के 'होमपेज' पर ही शिकायत फार्म प्रदान किया जाए जिसमें शिकायत निवारण के लिए नोडल अधिकार का नाम भी शामिल हो।

सेवा प्रभारों की उपयुक्तता

2.148 बैंक प्रभारों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए गठित किए गए कार्यदल ने अगस्त 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में वैयक्तिक ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली मूल बैंकिंग / वित्तीय सेवाओं, उक्त प्रभारों को तय करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि तथा इन प्रभारों की उपयुक्तता जैसे विभिन्न मुद्दों की जांच की गई है। कार्यदल ने जमा खातों, ऋण खातों, विप्रेषण सुविधाओं एवं चेक संग्रहण से संबंधित सत्ताईस मूल बैंकिंग सेवाओं की पहचान की है तथा चेक संग्रहण और विप्रेषण के प्रत्येक मामले में 10,000/- रुपये तक के तथा विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए 500 अमेरिकी डालर तक के लेनदेनों को कम मूल्य के लेनदेनों के रूप में परिभाषित किया गया है। कार्य दल ने (i) गैर-वैयक्तिक इकाइयों की तुलना में व्यक्तियों के लिए कम दरें; (ii) वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीण ग्राहकों तथा पेंशनभोगियों जैसे विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के लिए कम दरें; (iii) उचित और वाज़िब प्रभारों; तथा (iv) अधिकतम सीमा की शर्त के तहत केवल वृद्धिशील लागत को कवर करने के लिए सम-मूल्य पर सेवा प्रभार लगाने के आधार पर उपयुक्तता के मोटे सिद्धान्त सुझाये हैं। विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली मूल सेवाओं के लिए कार्य-दल ने सिफारिश की है कि बैंकों को अन्य व्यक्तियों के लिए लगाये जाने वाले प्रभारों की तुलना में और अधिक उदार शर्तों पर प्रभार लागू करने चाहिए।

2.149 कार्य-दल ने यह भी सिफारिश की कि वैयक्तिक ग्राहकों को प्रत्यक्ष एवं समय पर सभी प्रकार की मूल सेवाओं के लिए लागू प्रभारों के साथ-साथ उक्त प्रभारों में प्रस्तावित परिवर्तनों की संपूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। कार्य-दल की सिफारिश के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 2 फरवरी 2007 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को परिपत्र जारी किया।

बैंकों द्वारा प्रभारित अत्यधिक ब्याज दर की शिकायत

2.150 रिज़र्व बैंक और बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों को अत्यधिक ब्याज दर तथा कुछ ऋणों और अग्रिमों पर प्रभार लगाने संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मसले की जांच की गई तथा 7 मई 2007 को बैंकों को सूचित किया गया कि हालांकि ब्याज दरों को विनियमित किया गया है, तथापि एक स्तर से आगे ब्याज दरें सूदखोरी की श्रेणी में आ जाती हैं और न तो उन्हें बनाये रखा जा सकता है, न ही उन्हें सामान्य

बैंकिंग प्रथा के अनुरूप बताया जा सकता है। अतः बैंकों के बोर्डों को उपयुक्त आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं बनाने के लिए सूचित किया गया ताकि उनके द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर प्रोसेसिंग और अन्य प्रभारों सहित कुसीदात्मक ब्याज न लगाया जाए। बैंकों को सूचित किया गया कि वे कम मूल्य वाले ऋणों, विशेषतः वैयक्तिक ऋणों और ऐसे अन्य ऋणों के संबंध में सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मोटे दिशानिर्देशों को ध्यान में रखें : (i) ऋण पर लगाये जाने वाले ब्याज और अन्य सभी प्रभारों सहित उधारकर्ता की कुल लागत, ऋण जिसे चुकाया जाना है, को देने में बैंकों द्वारा वहन की गयी कुल लागत एवं उस लेनदेन से उचित रूप में अपेक्षित प्रतिलाभ की मात्रा के संबंध में न्यायोचित होनी चाहिए तथा (ii) ऐसे ऋणों पर उगाहे जाने वाले प्रोसेसिंग और अन्य प्रभारों सहित ब्याज पर एक उपयुक्त अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए तथा उसका उचित प्रचार किया जाए।

शिकायतों का विश्लेषण और प्रकटन

2.151 लोक सेवाओं की प्रक्रिया और निष्पादन लेखापरीक्षा समिति (अध्यक्ष : श्री एस.एस. तारापोर) की सिफारिश के आधार पर तथा शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता में इजाफा करने के लिए 22 फरवरी 2007 को बैंकों को सूचित किया गया था कि वे प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण के साथ-साथ अपने बोर्ड/ग्राहक सेवा समिति के समक्ष शिकायतों का विवरण भी प्रस्तुत करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वे आम जनता की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर शिकायतों का विस्तृत विवरण और उनका विश्लेषण भी दें। शिकायतों का विश्लेषण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे ऐसे ग्राहक सेवा क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें बारबार शिकायतें प्राप्त होती हों, जिन स्रोतों से बारबार शिकायतें प्राप्त होती हों उनकी पहचान की जा सके तथा सिस्टम-जनित कमियों की पहचान की जा सके और शिकायत निवारण तंत्र को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उचित कार्रवाई की जा सके।

2.152 इसके अलावा, बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे अपने वित्तीय परिणामों के साथ-साथ ग्राहक शिकायतों से संबंधित संक्षिप्त विवरण, जैसे कि प्राप्त शिकायतों की संख्या, निपटायी गई शिकायतों की संख्या तथा लंबित शिकायतों की संख्या भी प्रकट किया करें। इसी प्रकार बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने वित्तीय परिणामों के साथ बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित 'निर्णयों' (अवार्ड) से संबंधित संक्षिप्त विवरण यथा पारित अवार्ड, लागू किये गये / क्रियान्वयन हेतु लंबित अवार्ड आदि की संख्या की जानकारी दें।

2.153 शासन का बेहतर मानक तथा सार्वजनिक संस्थाओं के कार्यों के संचालन में ईमानदारी/पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने 21 अप्रैल 2004 को लिखित शिकायतें प्राप्त करने अथवा भ्रष्टाचार के आरोपों या पद के दुरुपयोग को प्रकट करने तथा उपयुक्त कार्रवाई की संस्तुति करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को 'निर्दिष्ट एजेंसी' के रूप में प्राधिकृत किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का अधिकार क्षेत्र सरकार या उसके द्वारा या किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी निगम, सरकारी कंपनियों, समितियों या स्थानीय प्राधिकरणों, जो सरकार के स्वामित्व में हों या उसके द्वारा नियंत्रित हों, के कर्मचारियों तक सीमित है तथा इस प्रकार इसमें सिर्फ सरकारी क्षेत्र के बैंक शामिल है। चूंकि निजी क्षेत्र के बैंक या विदेशी बैंक सीवीसी की परिधि के बाहर हैं, अतः रिज़र्व बैंक ने 18 अप्रैल 2007 को निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के लिए संरक्षित प्रकटन योजनाट नामक उसी तरह की योजना शुरू की। इस योजना के तहत भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, आपराधिक मामलों, संदिग्ध/वास्तविक धोखाधड़ी, वर्तमान नियमों एवं विनियमों का अनुपालन न किया जाना, वित्तीय हानि/परिचालनात्मक जोखिम के कारक कार्य, प्रतिष्ठा को नुकसान तथा जमाकर्ताओं के हित/सार्वजनिक हित जैसे क्षेत्रों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं। योजना के तहत, संबंधित बैंक के कर्मचारी (भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र के एवं विदेशी बैंकों सहित) निजी क्षेत्र के ग्राहक, पणधारी, गैर-सरकारी संगठन और आम जनता द्वारा शिकायतें प्रस्तुत की जा सकती हैं (बॉक्स II.14)।

आम जनता को प्राइवेसी का अधिकार

2.154 आम जनता के प्राइवेसी के अधिकार के संरक्षण की दृष्टि से क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले सभी बैंकों को ''कॉल नहीं करें सूची'' (डू नॉट कॉल रजिस्ट्री) के बारे में अनुदेश जारी किये गये थे। क्रेडिट कार्ड धारकों से निरंतर प्राप्त हो रही शिकायतों तथा इस संबंध में दायर की गई जनहित याचिका के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को देखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'अयाचित वाणिज्यिक संप्रेषण' विनियमावली 2007 तैयार किया है। इन विनियमों तथा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, द्वारा टेलि-विपणनकर्ताओं के लिए जारी दिशानिर्देशों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने 3 जुलाई 2007 को बैंकों को 'अयाचित' वाणिज्यिक संप्रेषणों के संबंध में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के बारे में सूचित किया। इन दिशानिर्देशों में 'टेलि-विपणनकर्ताओं' की सेवाएं लेने के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। बैंकों को सूचित किया गया था कि (i) वे ऐसे 'टेलि-विपणनकर्ताओं' [प्रत्यक्ष रूप से बिक्री करने वाले एजेण्ट (डीएसए)/प्रत्यक्ष विपणनकर्ता एजेन्ट

बॉक्स II.14: निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के लिए संरक्षित प्रकटन योजना शुरू करना

लोक संस्थाओं के कार्यों के संचालन में बेहतर अभिशासन मानक और ईमानदारी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसी संगठन के कर्मचारियों द्वारा जनहित में सूचना को प्रकट करने को सार्वजनिक निकायों द्वारा अधिकाधिक स्वीकृति मिल रही है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने 21 अप्रैल 2004 को एक संकल्प पारित किया था जिसके माध्यम से केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीबीसी) को लिखित शिकायतें प्राप्त करने या भ्रष्टाचार या पद के दुरूपयोग के किसी आरोप को प्रकट करने और उचित कार्रवाई करने का सुझाव देने के लिए ''निर्दिष्ट एजेंसी'' के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस संबंध में सीवीसी का क्षेत्राधिकार केन्द्र सरकार या इसके द्वारा या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निगम, सरकारी कंपनियों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या इसके द्वारा नियंत्रित सोसायटियों या स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों तक सीमित होगा। इस प्रकार, भारत सरकार की योजना सरकारी क्षेत्र के बैंकों और रिज़र्व बैंक (क्योंकि यह केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित इकाई है) पर लागू होती है।

वित्तीय स्थिरता को मजबूत बनाने के सक्रिय उपाय के रूप में तथा वित्तीय क्षेत्र की सुदृढ़ता में जन विश्वास को बढ़ाने की दृष्टि से अप्रैल 2007 में रिज़र्व बैंक ने इसी प्रकार की योजना नामतः ''निजी क्षेत्र के और विदेशी बैंकों के लिए संरक्षित प्रकटन योजना'' शुरू की। इस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(i) चूंकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भारत सरकार की योजना लागू होती है, यह योजना भारत में कार्य कर रहे निजी क्षेत्र के सभी बैंकों तथा विदेशी बैंकों को कवर करेगी।

(ii) योजना के तहत भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, आपराधिक मामलों, संदिग्ध/ वास्तविक धोखाधड़ी, मौजूदा नियमों एवं विनियमों यथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का अनुपालन करने में असफल रहने तथा ऐसे कृत्यों जिनके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि/ परिचालनात्मक जोखिम उत्पन्न हो, प्रतिष्ठा की क्षति, जमाकर्ताओं के हितों/जन हित को नुकसान पहुंचाने से संबंधित शिकायतें शामिल होंगी।

(iii) योजना के अधीन संबंधित बैंक के कर्मचारी, ग्राहक, स्टेक होल्डर, गैर-सरकारी संगठन और आम जनता शिकायतें दर्ज कर सकती है।

(iv) योजना के तहत बेनामी/क्षद्मनाम से प्रेषित शिकायतें कवर नहीं होंगी तथा ऐसी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) योजना के तहत शिकायतें प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। शिकायत के चिढ़ाऊ और तुच्छ पाए जाने के मामलों को छोड़कर रिज़र्व बैंक शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखेगा तथा नीचे बिंदु (vi) में बताये अनुसार शिकायतकर्त्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जानी होगी।

(vi) रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किए जाने के बाद संस्थान - जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है - ऐसे मामलों, जहां योजना के अधीन अभिप्रेरित /चिढ़ाऊ शिकायत की गई हो, में शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। तथापि, ऐसी कोई कार्रवाई करने से पूर्व संबंधित बैंक द्वारा शिकायतकर्ता को सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा। रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत पर की गई अंतिम कार्रवाई की सूचना शिकायतकर्ता को दी जाएगी।

(डीएमए)] की सेवाएं नहीं लें जिनके पास दूर संचार विभाग, भारत सरकार का 'टेलि-विपणनकर्ताट के रूप में कार्य करने के लिए वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं हो। (ii) उनके द्वारा नियोजित टेलि-विपणनकर्ताओं (डीएसए/डीएमए) की सूची, उनके द्वारा टेलि-विपणन काल के लिए प्रयुक्त पंजीकृत टेलीफोन संख्या सहित आइबीए को प्रस्तुत की जाए ताकि वे उसे टाई को प्रेषित कर सके; तथा (iii) यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा पहले से नियोजित सभी टेलि-विपणनकर्ता दूरसंचार विभाग के पास खुद को टेलि-विपणनकर्ता के रूप में पंजीकृत कराएं। चूंकि ट्राई के विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उद्योग स्तर पर आइबीए समन्वयकर्ता एजेंसी होगी, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे इस संबंध में आइबीए को सक्रिय सहयोग दें। बाद में ट्राई से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि डीएसए/डीएमए के अलावा, बैंकों/उनके कालसेंटरों, जो याचना 'काल' करते हैं, से भी यह अपेक्षित है कि वे दूरसंचार विभाग के पास टेलि-विपणनकर्ता के रूप में पंजीकृत कराएं। बैंकों को सूचित किया गया कि खुद को टेलि-विपणनकर्ता के रूप में पंजीकृत कराते समय बैंकों/उनके कालसेंटरों से अपेक्षित होगा कि वे टेलि-विपणन के लिए प्रमुख टेलीफोन नंबरों के ब्यौरे दें।

उधार देने वालों के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश - ऋण अस्वीकृत करने के कारण

2.155 रिज़र्व बैंक द्वारा उधार देनेवालों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर 5 मई 2003 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि 2 लाख रुपये तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के ऋण आवेदन फार्म में शुल्क/प्रभारों तथा ऐसे अन्य मामलों - जो उधारकर्ता के हितों को प्रभावित करे - के बारे में गहन जानकारी दी गई हो। दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से यह भी अपेक्षित है कि 2 लाख रुपये तक के ऋण मांगने वाले लघु उधारकर्ताओं के मामले में लिखित में उस प्रमुख कारण/कारणों का उल्लेख करें जिनके कारण ऋण आवेदन निरस्त किया गया। इन दिशानिर्देशों में 6 मार्च 2007 को संशोधन किया गया तथा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि सभी श्रेणियों के ऋणों भले ही उधारकर्ता द्वारा मांगे गये ऋण की राशि कुछ भी हो, के सभी ऋण आवेदन फार्मों में शुल्क/प्रभारों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से यह भी अपेक्षित है कि सभी श्रेणियों के ऋणों - बगैर किसी न्यूनतम सीमा के - के मामले में ऋण आवेदन (क्रेडिट कार्ड आवेदन सहित) को अस्वीकार करने के प्रमुख कारणों की लिखित में सूचना दें। (बॉक्स II.15)।

बाक्स II.15: उपभोक्ता संरक्षण के विशेष संदर्भ वाले क्रेडिट कार्ड

रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्डों के लिए विनियामक तंत्र पर कार्य-दल की सिफारिशों के आधार पर नवंबर 2005 में बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों पर विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए जिन्हें क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों को लागू करना है। इन दिशानिर्देशों को जुलाई 2007 में अद्यतन किया गया तथा इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज दरों और अन्य प्रभारों में पारदर्शिता, गलत बिल भेजने, डीएमए/डीएसए तथा अन्य एजेण्टों का इस्तेमाल करने, ग्राहक के अधिकारों का संरक्षण करने, शिकायतों के निवारण जैसे क्षेत्र कवर किए गए हैं। बैंकों को सूचित किया गया था कि क्रेडिट कार्ड बकाया गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वैयक्तिक ऋणों के स्वरूप के हैं तथा इस कारण बैंक अपनी बीपीएलआर और क्रेडिट कार्ड बकायों के आकार पर ध्यान दिए बगैर क्रेडिट कार्ड बकायों पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

क्रेडिट कार्ड परिचालनों संबंधी ग्राहकों के अधिकार प्रारंभिक तौर पर निजी प्राइवेसी, ग्राहक गोपनीयता और ऋण संग्रहण में उचित प्रथा से संबंधित हैं। इन दिशानिर्देशों में ध्यान दिए गए ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र निम्नवत हैं:

(i) बैंकों को क्रेडिट कार्ड बकायों पर अपनी ब्याज दर/सेवा प्रभार का निर्धारण करने में पारदर्शी होना चाहिए तथा उन्हें 'वेलकम किट' और मासिक विवरण में शामिल किया जाए।

(ii) क्रेडिट कार्ड परिचालनों के लिए बैंकों की विधिवत् रूप से तैयार की गई नीति और उचित व्यवहार संहिता होनी चाहिए और उन्हें भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों के बारे में रिलीज की गई ञ्उचित व्यवहार संहिताट को अपनाना चाहिए।

(iii) कार्ड जारी करने वाले बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि गलत बिल न तो तैयार किए जाते हैं और न ही इन्हें ग्राहकों को भेजा जाता है। यदि कोई ग्राहक किसी बिल का विरोध करता है तो बैंक को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए तथा आवश्यक होने पर अधिकतम 60 दिनों की अवधि के अंदर ग्राहक को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक बिलों और खातों की विवरणियों को, इस प्रयोजन हेतु उचित सुरक्षा के साथ, ऑनलाइन तरीके से प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं।

(iv) विभिन्न क्रेडिट कार्ड परिचालनों की आउटसोर्सिंग करते समय बैंकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा करते समय ग्राहक सेवा की गुणवत्ता तथा ऋण, चलनिधि एवं परिचालनात्मक जोखिमों का प्रबंध करने की बैंक की क्षमता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाए। सेवा प्रदाता के विकल्प के मामले में बैंकों को ग्राहकों के अभिलेखों की गोपनीयता सुनिश्चित करने, ग्राहक की प्राइवेसी का आदर करने की जरूरतों के अनुसार कार्य करना होगा तथा ऋण की वसूली में उचित व्यवहार का अनुपालन करना होगा।

(v) भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार की गई ञ्प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों के लिए आचार संहिताट का बैंक इस प्रयोजन के लिए अपनी स्वयं की संहिता तैयार करने के लिए कर सकते हैं। बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने क्रेडिट कार्ड उत्पादों का विपणन करने के जिन डीएसए की सेवाएं बैंक ने ली हैं वे एजेंट क्रेडिट कार्ड परिचालनों के लिए बैंक की स्वयं की आचार संहिता का अनुपालन करें। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए तथा यह किसी भी क्रेडिट कार्डधारक को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।

(vi) अनचाहे कार्ड जारी नहीं किए जाने चाहिए तथा अनचाहे ऋण या अन्य ऋण सुविधा की भी पेशकश नहीं की जानी चाहिए।

(vii) कार्ड जारी करने वाले बैंक को समान रूप से क्रेडिट कार्डों को अपग्रेड नहीं करना चाहिए तथा न ही क्रेडिट (उधार) सीमा बढ़ानी चाहिए। शर्तों और निबंधनों में परिवर्तन होने पर कार्डधारकों की पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से ली जानी चाहिए।

(viii) कार्ड जारी करने वाले बैंकों को चाहिए कि वे कार्डधारकों की विशिष्ट अनुमति प्राप्त किये बिना ग्राहकों से संबंधित कोई भी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति / संगठन को नहीं दें। किसी ऋण सूचना कंपनी (जो रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट रूप से अधिकृत हो) को कार्डधारक की ऋण पृष्ठभूमि/ चुकौती अभिलेख से संबंधित कोई जानकारी प्रदान करने के मामले में बैंक को स्पष्ट रूप से ग्राहक के ध्यान में यह बात लानी चाहिए कि यह सूचना ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अनुसार प्रदान की जा रही है। भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लि. (सिबिल) या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत अन्य किसी ऋण सूचना कंपनी को चूक की स्थिति की सूचना भेजने से पूर्व कार्डधारक को इसी प्रकार की सूचना भेजी जानी चाहिए।

(ix) बकायों की वसूली के मामले में बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे और उनके एजेंट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उधार देनेवालों के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी मौजूदा अनुदेशों तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा बकायों के संग्रहण एवं प्रतिभूति के पुनः अधिग्रहण के संबंध में जारी अनुदेशों का अनुपालन करें। यदि बकायों के संग्रहण के संबंध में बैंकों की अपनी संहिता हो तो इसमें कम-से-कम भारतीय बैंक संघ की संहिता की सभी शर्तें शामिल होनी चाहिए। विशेष रूप से ऋण संग्रहण के लिए तीसरे पक्ष की एजेन्सियों को नियुक्त करने के संबंध में यह आवश्यक है कि ऐसे एजेन्ट ऐसे कार्य नहीं करें जो बैंक की सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाये तथा वे ग्राहक की गोपनीयता का कड़ाई से पालन करें।

(x) बैंक/उनके एजेन्ट ऋण संग्रहण के अपने प्रयासों में किसी व्यक्ति को मौखिक या शारीरिक रूप से किसी प्रकार से धमकाने या उत्पीड़न का कार्य न करें। इसमें कार्डधारकों के परिवार के सदस्यों, उनके नामों का संदर्भ देने वालों और मित्रों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप करने के कृत्य, धमकी देना और बेनामी रूप से फोन करना या गलत और भ्रमित करने वाले अभ्यावेदन देना शामिल हैं।

(xi) सामान्यतया अपनी शिकायतों के लिए ग्राहकों को साठ (60) दिनों की समय-सीमा दी जाए। कार्ड जारी करने वाले बैंक को बैंक के अंदर शिकायत निवारण तंत्र गठित करना चाहिए। बैंक के निर्दिष्ट शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर क्रेडिट कार्ड बिलों / वेबसाइट पर दिया जाना चाहिए। बैंकों में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु ग्राहकों की शिकायतों की पावती यथा शिकायत संख्या/ डॉकेट संख्या (शिकायतों के फोन से प्राप्त होने के मामलों में भी) देने का सिस्टम होना चाहिए।

(xii) क्रेडिट कार्ड संबंधी शिकायतों के निपटान के लिए बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय तक पहुँचने का विकल्प दिशानिर्देशों में दिया गया है।

(xiii) किसी भी क्रेडिट कार्ड दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार रिज़र्व बैंक के पास है।

द्वार पर (डोरस्टेप) बैंकिंग

2.156 ग्राहकों के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, दृष्टिकोण में एकरूपता लाने तथा शामिल जोखिमों को स्पष्ट करने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया था कि बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को द्वार पर बैंकिंग की सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सामान्य सिद्धान्त तथा व्यापक मानक निर्धारित किए जाएं। तदनुसार, बैंकों केलिए फरवरी, 2007 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिनमें उन्हें अपने ग्राहकों को द्वार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने बोर्डों के अनुमोदन से योजना तैयार करने की अनुमति दी गई थी। योजना के अन्तर्गत बैंकों को कंपनियों / सरकारी विभागों / सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से नकदी / लिखत प्राप्त करने, काउंटर पर प्राप्त चेकों के प्रति नकद राशि की सुपुर्दगी करने तथा उन्हें डिमांड ड्राफ्ट सुपुर्द करने तथा वैयक्तिक ग्राहकों के मामले में उनसे नकदी / लिखत प्राप्त करने तथा उन्हें डिमांड ड्राफ्ट सुपुर्द करने जैसी द्वार-पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई। मई 2007 में बैंकों को अपने वैयक्तिक ग्राहकों को नकद राशि सौंपने की सेवाएं प्रदान करने की भी अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, किसी भी सुरक्षित सुविधाजनक माध्यम (चैनल) से प्राप्त अनुरोधों के प्रति भी वैयक्तिक ग्राहकों / कंपनियों / सरकारी विभागों / सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नकद राशि / ड्राफ्ट की सुपुर्दगी की सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई बशर्ते बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के मानक तथा प्रक्रियाएं अपनाएं। 24 मई 2007 को रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निदेश दिया कि द्वार पर बैंकिंग उत्पादों की पेशकश करते समय वे संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 का पालन करें।

आवास ऋण : निष्पक्षता और पारदर्शिता

2.157 रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह आया था कि आवास के लिए ऋण देते समय कुछ बैंक ऐसी परिस्थितियों और घटकों का उल्लेख करने में पूरी तरह पारदर्शी नहीं है जिनसे परिवर्तनशील (फ्लोटिंग) दरों तथा दरों के पुनर्निधारण के खण्ड संबंधी बेंचमार्क पर प्रभाव पड़ता है। अतः बैंकों को उन सभी तौर-तरीकों की समीक्षा करने के लिए दबाव दिया गया जो कम निष्पक्ष और कम पारदर्शी हैं। उन पर इस बात के लिए भी जोर दिया गया था कि वे विधिक अपेक्षाओं और उचित प्रथाओं के अनुरूप उचित और पारदर्शी शर्तें प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं को अवसर प्रदान करें।

पेंशन भुगतान सेवाएं

2.158 रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पेंशनभोगियों को एजेन्सी बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार लाने के लिए अपनी पहल जारी रखी। ''अधिकृत बैंकों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान योजना'' के अंतर्गत पेंशनभोगी उसके द्वारा वैयक्तिक तौर पर परिचालित उसके बचत/चालू खाते के माध्यम से पेंशन प्राप्त करता है। जून 2006 से केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, भारत सरकार ने पेंशनभोगी द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति के साथ परिचालित संयुक्त खाते, जिसमें पारिवारिक पेंशन को जमा किया जाना अधिकृत हो, में पेंशन की राशि जमा करने की अनुमति दी है। रिज़र्व बैंक ने इस बारे में एजेन्सी बैंकों को उपयुक्त अनुदेश जारी किए हैं।

अन्य बैंकिंग सेवाएं

2.159 30 मार्च 2007 को बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि ग्राहकों द्वारा जारी चेकों/ड्राफ्टों - जिसमें रुपये के भाग (पैसे) शामिल हों - को उनके द्वारा अस्वीकार या नकारा नहीं जाता है।

2.160 5 अप्रैल 2007 को बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सामान्यतः जमा खाता खोलने वाले व्यक्तियों पर नामांकन के लिए दबाव दें। यदि खाता खोलने वाला कोई व्यक्ति नामांकन भरने से इनकार करता है तो बैंक को नामांकन सुविधा के फायदे बताने चाहिए। इस पर भी यदि खाता खोलने वाल व्यक्ति नामांकन नहीं करता है तो बैंक को उसे इस विषयक एक निर्दिष्ट पत्र लिखकर देने के लिए कहना चाहिए कि वह नामांकन नहीं करना चाहता है। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति ऐसा पत्र देने से मना करता है तो बैंक को यह तथ्य खाता खोले जाने के फार्म पर दर्ज करना चाहिए तथा अन्यथा पात्र पाए जाने पर खाता खोलने की आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बैंक को केवल इस आधार पर कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने नामांकन के लिए मना किया है, खाता खोलने से इनकार नहीं करना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए इस प्रकार के दिशानिर्देश अप्रैल 13, 2007 को जारी किए गए।

2.161 लोक सेवाओं की प्रक्रियाओं और निष्पादन लेखापरीक्षा समिति की लॉकर के सुगम परिचालन से संबंधित सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने सुरक्षित जमा लॉकर/ वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा (सेफ कस्टडी आर्टिकल्स) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जारी सभी दिशानिर्देशों की समीक्षा की तथा संशोधित दिशानिर्देश अप्रैल 17, 2007 को जारी किए गए। दिशानिर्देश में निम्नलिखित से संबंधित अनुदेश हैं : (i) लॉकर आबंटन; (ii) लॉकर से संबंधित सुरक्षा पहलू; (iii) सुरक्षित जमा लॉकर तक पहुंच / सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुएं उत्तरजीवी/नामिती/कानूनी वारिस को लौटाना; और (iv) ग्राहक मार्गदर्शन और प्रचार।

2.162 25 अप्रैल 2007 को बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि उनके बैंक की कोई शाखा/स्टाफ कम मूल्यवर्ग के नोट और / या सिक्के स्वीकार करने से मना नहीं करे। बैंकों से अपनी समस्त शाखाओं को सख्त अनुदेश जारी करने के लिए कहा गया कि किसी भी स्थिति में संबंधित स्टाफ काउंटरों पर प्रस्तुत किए गए कम मूल्यवर्ग के नोटों और सिक्कों को स्वीकार करने से मना नहीं करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी स्टाफ सदस्य इस बारे में जारी अनुदेशों की पूर्णतः जानकारी रखें तथा इनका कड़ाई से अनुपालन करें। किसी भी स्टाफ सदस्य द्वारा मना करने / अनुपालन नहीं करने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जानी होगी।

2.163 मई 3, 2007 को बैंकों को सूचित किया गया था कि जोखिम सहभागिता के बगैर बीमा उत्पादों का वितरण करने के लिए कार्पोरेट एजेंसी कारोबार करने हेतु उन्हें रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बीमा एजेंसी कारोबार शुरू करने के 15 दिनों के अंदर उनके लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को एक रिपोर्ट भेजनी अपेक्षित है।

9. भुगतान और निपटान प्रणाली

2.164 वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों का कारगर तरीके से कार्य करना एक पूर्वापेक्षा है। मौद्रिक नीति के संप्रेषण चैनलों की दृष्टि से भी भुगतान और निपटान प्रणाली महत्त्वपूर्ण है। प्रणाली का सुचारु रूप से कार्य नहीं करना अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं तथा वित्तीय आस्तियों के प्रवाह को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है। इससे वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति की संप्रेषण प्रक्रिया पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

2.165 भुगतान और निपटान प्रणाली के क्षेत्र में नीति-दिशानिर्देश देने वाले सर्वोच्च निकाय भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हो रही हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान बीपीएसएस की चार बैठकें (25 सितंबर 2006; 21 दिसंबर 2006; 10 अप्रैल 2007 और 14 जून 2007) हुईं। बीपीएसएस का प्रमुख जोर प्रोत्साहन और सूचना विस्तार के जरिए भुगतान प्रणालियों के इलेक्ट्रॉनिकीकरण पर रहा। जनता में बड़े पैमाने पर जागरूकता सृजित करने की दिशा में तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवाएं - क्रेडिट और डेबिट के संबंध में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रकाशन किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित विभिन्न भुगतान सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं के नाम 'पब्लिक डोमेनट में रखे गए। बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही इलेक्ट्रानिक भुगतान सेवाओं हेतु लिए जा रहे प्रभारों को भी प्रकाशित किया जा रहा है तथा जब कभी बैंकों द्वारा किसी परिवर्तन की सूचना भेजी जाती है तो इन्हें अद्यतन किया जाता है। इससे ग्राहकों को लगाये जानेवाले प्रभार तथा दी जानेवाली सेवाओं के आधार पर बैंक का चयन करने का विकल्प मिला है।

2.166 रिज़र्व बैंक ने खुदरा और बड़े दोनों मूल्य वाली सुदृढ़ भुगतान और निपटान प्रणालियां विकसित करने में रुचि दिखाई है। रिज़र्व बैंक ने खुदरा मूल्य और बड़े मूल्य दोनों प्रणालियों की दक्षता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं। खुदरा मूल्य और बड़े मूल्य वाली प्रणालियों के लिए अधिक से अधिक केन्द्रों / शाखाओं को नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस के दायरे में लाना इस दिशा में उठाया गया कदम है। इसी प्रकार समाशोधन गृहों को एक-साथ (बल्क) भुगतानों / प्राप्तियों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है। इन वर्षों में विकसित खुदरा और बड़े मूल्य वाली भुगतान प्रणालियों का व्यापक ढांचा और इसकी विशेषताएं तथा भुगतान प्रणालियों का पर्यवेक्षण इस भाग में विस्तारपूर्वक दिया गया।

खुदरा भुगतान प्रणालियां

2.167 खुदरा भुगतान प्रणालियों में कागज आधारित समाशोधन और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणालियाँ अर्थात् नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा, कार्ड भुगतान, ई-भुगतान, इंटरनेट और मोबाइल भुगतान शामिल होते हैं प्रौद्योगिकीय विकास ने ई-पर्स जैसी भुगतान प्रक्रिया में अभिनव परिवर्तन को सुकर बनाया हैं (बॉक्स II.16)।

कागज आधारित समाशोधन - माइकर का विस्तार तथा मैग्नेटिक मीडिया आधारित समाशोधन प्रणाली (एमएमबीसीएस) का कार्यान्वियन

2.168 कागज आधारित चेक आज भी भुगतान का सर्वाधिक प्रमुख माध्यम है। भुगतान के इस माध्यम से निपटाए गए लेनदेनों की मात्रा के कारण यह अनिवार्य है कि यह प्रणाली सुचारु तरीके से कार्य करे। माइकर फार्मेट में चेक को मानकीकृत किया जा चुका है। तथापि अधिकतर समाशोधन गृहों में अभी भी समाशोधन का कार्य हाथ से अर्थात मैनुअल किया जा रहा था। अतः 59 चुनिंदा केंद्रों पर माइकर चेक प्रसंस्करण केंद्र (सी पी सी) की स्थापना पूरी होने पर इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि समाशोधन गृहों में निपटान परिचालनों को कंप्यूटरीकृत किया जाए, जहाँ कम मात्रा के कारण माइकर चेक प्रसंस्करण

बॉक्स II.16: ई-पर्स से संबंधित पहल

भुगतान और निपटान प्रणाली संबंधी समिति अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, द्वारा मई 2004 में प्रकाशित 'इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा और इंटरनेट तथा मोबाइल भुगतान में विकास का सर्वेक्षण' में इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है, 'निर्गमकर्ता पर दावे द्वारा प्रस्तुत मौद्रिक मूल्य, जिसे (i) इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखा जाता है; (ii) जारी मौद्रिक मूल्य से अन्यून राशि की निधियों की प्राप्ति पर जारी किया जाता है; (iii) निर्गमकर्ता से इतर उपक्रमों द्वारा भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है'। इस परिभाषा में प्रीपेड कार्ड (जिसे कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक पर्स कहा जाता है) और प्रीपेड सॉफ्टवेयर प्रॉडक्ट जो कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करते हैं (जिसे कभी-कभी डिजिटल नकदी कहा जाता है) दोनों शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक पर्स या ई-पर्स एक ऐसा भंडारित मूल्य या प्रीपेड प्रॉडक्ट है जिसमें निधियों या मूल्य के रिकॉर्ड का भंडारण एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर किया जाता है जो ग्राहक के कब्जे में रहता है तथा बहुल उपयोग के लिए ग्राहक को उपलब्ध रहता है। डिवाइस में मूल्य डालना एटीएम से नकदी निकालने जैसा है। एटीएम के माध्यम से अथवा कुछ मामलों में टेलीफोन या इंटरनेट के माध्यम से समतुल्य मौद्रिक मूल्य प्राप्त होने पर बैंक खातों से शेष के अंतरण द्वारा कार्ड पर मुद्रा को लोड किया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः कम मूल्य की खरीद के लिए भुगतान करने में किया जाता है।

भारत में सिर्फ कुछ बैंकों ने प्रीपेड कार्ड जारी करना शुरू किया है। अब बैंकों के सहयोग से/ सहयोग के बिना कई बैंकेतर संस्थाएं सीमित या बहुउद्देश्यीय दोनों तरह के प्रीपेड कार्ड जारी कर रहे हैं। भारत में बैंकों द्वारा जारी कार्डों की मोटे तौर पर ये श्रेणियाँ हैं - को-ब्रैंडेड पूर्व-प्रदत्त यात्रा कार्ड/ विदेशी यात्रा कार्ड, को-ब्रैंडेड पूर्वप्रदत्त वार्षिक कार्ड, को-ब्रैंडेड पूर्वप्रदत्त पेरोल कार्ड आदि। एटीएम में उपयोग में लाने के अलावा, इन कार्डों का उपयोग भुगतान करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों में भी किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से लेनदेन करने के लिए भी भुगतान किये जा सकते हैं। धीरे-धीरे पर स्थिरता के साथ, भुगतान की इस विधि का उपयोग बढ़ रहा है। ई-पर्स के संभाव्य लाभों को पहचानते हुए इस प्रकार के भुगतानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जांच रिज़र्व बैंक कर रहा है।

की स्थापना अर्थक्षम विकल्प नहीं था। मैग्नेटिक मीडिया आधारित समाशोधन प्रणाली का उपयोग करते हुए संशोधन कार्य के कंप्यूटरीकरण की योजना बनाई गई।

2.169 मैग्नेटिक मीडिया आधारित समाशोधन प्रणाली (एमएम बीसीएस), माइकर कोड सूचना पर आधारित समाशोधन और निपटान के लिए प्रावधान करती है। यह प्रणाली 15 वर्ष से अधिक समय तक प्रचालित की जाती रही है। इसके अंतर्गत प्रेजेंटेशन समाशोधन, वापसी समाशोधन, उच्च मूल्य/उच्च मूल्य वापसी समाशोधन और अंतर-बैंक समाशोधन किए जा सकते हैं परंतु अंतर-सिटी समाशोधन इसमें संभव नहीं है। यह प्रणाली आरंभ में रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित चार माइकर चेक प्रसंस्करण केंद्रों में लागू की गई। बाद में इस प्रणाली को रिज़र्व बैंक के प्रबंधन वाले सभी समाशोधन गृहों में लागू किया गया। सदस्य बैंक अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक फाइल के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वह फाइल अपने आप कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस ही जाती है। परिणामस्वरूप 15 मिनट में ही, जबकि मैनुअल प्रणाली में 3 अथवा 4 घंटे लगते थे, निपटान के आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। पहले चरण (25 से अधिक बैंकों वाले समाशोधन गृह) में 41 समाशोधन गृहों को चयनित किया गया और उन्हें कंप्यूटरीकृत किया गया। दूसरे चरण के दौरान (15 या उससे अधिक बैंकों वाले समाशोधन गृह) 180 समाशोधन गृहों को कंप्यूटरीकरण के लिए चुना गया। इनमें से 176 समाशोधन गृहों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 313 अन्य समाशोधन गृहों को भी कंप्यूटरीकृत किया गया यद्यपि उनके पास 15 से भी कम बैंकों की सदस्यता थी। इस प्रकार सितंबर 2007 के अंत तक कुल कंप्यूटरीकृत समाशोधन गृहों की संख्या 530 थी। समाशोधन गृहों के कंप्यूटरीकरण से चेक प्रोसेसिंग में समय और त्रुटियों में कमी आयी है। नये समाशोधन गृहों को सिर्फ एमएमबीसीएस द्वारा ही परिचालित किया जाता है।

2.170 कागज आधारित भुगतान प्रणाली की क्षमता के उन्नयन के लिए चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) भी प्रारंभ की गई है। सीटीएस के परिचालन में आ जाने के बाद कागजी लिखतों को प्रेजेंटिंग बैंकों से आगे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। चेक ट्रंकेटिंग के स्थान - शाखा स्तर अथवा सेवा शाखा अथवा गेटवे स्तर-पर ही बैंक कारोबारी निर्णय कर सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को इस दायरे में लाने के लिए चेक ट्रंकेशन हेतु एक प्रायोगिक परियोजना स्थापित की गई है। छोटे बैंक, जिनके लिए इस तरह की आधारभूत संरचना स्थापित करना अर्थक्षम नहीं है, एक साथ मिलकर ऐसी सेवा देने के लिए स्थापित किए गए सेवा ब्यूरो की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रयोजनार्थ कुछेक बड़े बैंक सेवा ब्यूरो की स्थापना छोटे बैंकों के लिए करेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा

2.171 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा एक तरह की फुटकर भुगतान प्रणाली है जिसका उपयोग एक ही जैसे बड़े भुगतानों/प्राप्तियों को करने, विशेषतया जब प्रत्येक भुगतान पहले के जैसा ही हो और छोटी राशि का हो, के लिए किया जा सकता है। इसके दो प्रकार हैं - एक प्रत्यक्ष जमा और दूसरा प्रत्यक्ष नामे। ईसीएस (जमा) के अंतर्गत एक निकाय/कंपनी अपने बैंक खाते से कई प्राप्तकर्ताओं को प्रत्यक्ष जमा के द्वारा उन प्राप्तकर्ताओं के बैंक खातों में भुगतान करती है। प्रत्यक्ष जमा सुविधा के उपयोग से कंपनियां और सरकारी विभाग एक जैसे बड़े

भुगतान, जैसे वेतन और पेंशन, कर सकती हैं। ई सी एस नामे (डेबिट) के द्वारा यूटीलिटी कंपनी (बिजली और दूरसंचार) और बीमा कंपनियाँ अपने बिल, बीमा प्रीमिया और ऋणों की समान मासिक किस्त का भुगतान अपने ग्राहकों के बैंक खातों से प्राप्त करती हैं। अब 67 केंद्रों पर सभी बैंक शाखाओं में ईसीएस उपलब्ध है।

2.172 जिन केंद्रों पर रिज़र्व बैंक का अपना कोई कार्यालय नहीं है, उन केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की सुविधा अधिकाधिक उपलब्ध कराने के लिए और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर (पी के आइ) - आधारित सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए ईएफटी के जैसी ही एक प्रणाली, जिसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के नाम से जाना जता है, नवंबर 2005 में लागू की गई। बृहद मूल्य के भुगतानों के लिए आरटीजीएस प्रणाली बना चुकने के पश्चात फुटकर इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लिए एन ई एफ टी अत्यावश्यक भुगतान प्रणाली बन चुकी है। एनईएफटी संबंधी निपटान 'निवल' आधार पर किया जाएगा : सप्ताह के दिनों में 6 निपटान (9.30 पूर्वाह्न 10.30 पूर्वाह्न; 12.00 मध्याह्न; 1.00 अपराह्न, 3.00 अपराह्न और 4.00 अपराह्न) किए जाते हैं और शनिवार को 3 निपटान (9.30 पूर्वा; 10.30 पूर्वा; और 12.00 मध्याह्न) किए जाते हैं। एनईएफटी सिस्टम जो आस्थगित निवल निपटान है, के निपटानों की संख्या में वृद्धि ने इसे वास्तविक समय प्रणाली (रियल टाइम सिस्टम) के काफी निकट ला दिया है। इस समय 74 बैंकों के द्वारा यह सुविधा 30,000 से अधिक शाखाओं पर उपलब्ध कराई जा रही है। रिज़र्व बैंक ने एनईएफटी में मई 2007 से हिस्सेदारी शुरू की है। परंतु रिज़र्व बैंक की हिस्सेदारी केवल एक विप्रेषणकर्ता बैंक के रूप में ही है।

2.173 एजेंसी बैंकों को 30 अप्रैल 2007 को सूचित किया गया कि वे ईसीएस/ईएफटी सुविधाओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सरकारी लेनदेन करने के लिए ग्राहकों को समर्थकारी वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली

2.174 कई वर्षों से देश में क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग होता आया है। लेकिन कार्ड आधारित उपयोग पिछले पांच वर्षों के दौरान ही अधिक गति से बढ़ा है। आजकल देश में फुटकर भुगतान के लिए कार्ड के द्वारा भुगतान का तरीका ज्यादा पसंद किया जा रहा है।

ई-भुगतान : इंटरनेट और मोबाइल भुगतान

2.175 ई-कॉमर्स और इंटरनेट के प्रयोग में हुई बेतहाशा वृद्धि ने नई भुगतान प्रक्रिया के विकास को जन्म दिया है जो गति और सुविधा के लिए इंटरनेट की अद्वितीय क्षमताओं का दोहन करने में सक्षम हैं। इसी प्रकार मोबाइल फोनों के अधिकाधिक उपयोग के कारण बैंकों और गैर-बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए नई भुगतान सेवा विकसित करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। इंटरनेट भुगतान और मोबाइल भुगतान एक ऐसे चैनेल के द्वारा परिभाषित होते हैं जिसके माध्यम से भुगतान प्रणाली में भुगतान संबंधी अनुदेश प्रविष्टि पाते हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय स्विच

2.176 राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) की स्थापना बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आइडीआरबीटी) के द्वारा समस्त बैंक एटीएम स्विचों के बीच शीर्ष स्तरीय कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। इसके कारण पूरे देश में बैंकों के बीच एटीएम कनेक्टिविटी में सुविधा होगी। एन एफ एस के माध्यम से किए गए सभी लेनदेनों के लिए सी सी आइ एल को निपटान एजेंसी के रूप में निरूपित किया गया है। एकल सदस्यों के निवल निपटान दायित्वों को आइडीआरबीटी के द्वारा सीसीआइएल को भेजा जाता है। सीसीआइएल के द्वारा यह फाइल निपटान के लिए रिज़र्व बैंक को भेज दी जाती है। इस भाग के अंतर्गत 'सभी अथवा एक भी नहीं' आधार पर निपटान किए जाते हैं।

बृहद्‌मूल्य भुगतान प्रणालियाँ

2.177 बृहद्‌मूल्य भुगतान प्रणालियों में आरटीजीएस, सरकारी प्रतिभूति समाशोधन और विदेशी मुद्रा समाशोधन सम्मिलित हैं। आरटीजीएस का परिचालन मार्च 2004 में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में आरटीजीएस प्रणाली के 100 सदस्य (बैंक, प्राइमरी डीलर और रिज़र्व बैंक) हैं। आरटीजीएस प्रणाली अंतर बैंक निधि अंतरण का काम तो करती है साथ में ग्राहकों के लेनदेनों को सुविधाजनक बनाती है।

2.178 जनवरी 2007 से यह प्रणाली पूर्णतया उच्च मूल्य प्रणाली बना दी गई है और इस प्रणाली के माध्यम से केवल 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य के लेनदेन किए जा सकते हैं। आंतरिक लेखांकन प्रणाली (आइएएस) तथा केंद्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली (सीएफएमएस) के साथ आरटीजीएस को जोड़ दिए जाने के परिणामस्वरूप बैंकों को निधियों का प्रबंधन बेहतर तरीके से करना और रिज़र्व बैंक में अपने खातों के द्वारा पूरे देश में निधियों का निर्बाध अंतरण करना सुकर हुआ है। आर टी जी एस - आइ ए एस को प्रतिभूति निपटान प्रणाली (एसएसएस) के साथ एकीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप स्वचालित अंतः दिवस चलनिधि (आइडीएल), पात्रता के आधार पर, की उपलब्धता सुकर बन गई है।

2.179 आर टी जी एस में बहुपक्षीय शुद्ध निपटान बैच (एमएनएसबी) नामक निपटान की सुविधा है जिसका कार्यान्वयन मुंबई में किए गए निपटानों के लिए किया गया है। इन निपटानों में चेक समाशोधन निपटान (उच्च मूल्य समाशोधन सम्मिलित करते हुए), ई सी एस और ईएफटी / एनईएफटी निपटान आते हैं। आरटीजीएस में सी सी आइ एल निपटान भी किया जाता है। आरटीजी एस की पहुँच और उपयोगिता निरंतर बढ़ रही है। वर्तमान में 32,768 शाखाएं यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा रही हैं।

2.180 क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआइएल) सरकारी प्रतिभूति समाशोधन के लिए और विदेशी मुद्रा समाशोधन के लिए भी केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) है। समस्त द्वितीयक बाजार आउटराइट बिक्री और सरकारी प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेनों का निपटान सीसीआइएल के माध्यम से किया जाता है। इस खंड में समस्त ओटीसी ट्रेड, जो रिज़र्व बैंक के एनडीएस प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किए जाते हैं और ऐसे ट्रेड जो ऑनलाइन गुमनाम प्लेटफॉर्म एनडीएस - ओएम पर अनुबंधित किए जाते हैं, सीसीआइएल के द्वारा आवश्यक वैधीकरण होने के पश्चात निपटान के लिए स्वीकार किए जाते हैं। ये ट्रेड सुपुर्दगी बनाम भुगतान III के आधार पर निपटाए जाते हैं अर्थात निधियों के पक्ष और प्रतिभूति पक्ष दोनों ही पक्षों का निपटान निवल आधार पर किया जाता है। सीसीआइएल सभी लेनदेनों के लिए सीसीपी जैसी भूमिका निभाता है और लेनदेनों में सम्मिलित प्रतिभूति और निधि दोनों ही पक्षों की गारंटी देता है। सीसीआइएल प्रत्येक ट्रेड के लिए केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करते हुए नवोन्मेष प्रॉसेस के जरिए निपटान की तारीख को प्रत्येक ट्रेड के निपटान की गारंटी देता है।

2.181 रिज़र्व बैंक ने सीएफएमएस को कार्यान्वित किया है जो बैंकों को रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में रखे उनके खातों में मौजूद निधियों का अंतरण करने में समर्थ बनाते हैं। वर्तमान में निधि अंतरण की यह प्रणाली ग्यारह केंद्रों पर लागू है, ये केंद्र हैं - अहमदाबाद, बेंगलूर, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली और पटना।

भुगतान प्रणाली की निगरानी

2.182 ठोस कानूनी ढांचा की मौजूदगी भुगतान और निपटान प्रणाली के सुचारु रूप से कार्य करने का आधार है। वर्तमान में भारत में कोई अनन्य कानून नहीं है जो देश में भुगतान और निपटान प्रणाली पर औपचारिक निगरानी का अधिकार रिज़र्व बैंक को सौंपता हो। रिज़र्व बैंक इस भूमिका का निर्वाह विद्यमान कानूनों यथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 से शक्तियाँ प्राप्त करके करता है।

2.183 भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हो गई है। इस विधेयक के अधिनियमित होकर अधिनियम बन जाने के बाद रिज़र्व बैंक देश में समस्त भुगतान और निपटान प्रणालियों को विनियमित करने और उनका पर्यवेक्षण करने के लिए शक्तिसंपन्न हो जाएगा। इस विधेयक में बहुपक्षीय निवलन और निपटान संबंधी बनी बातों, जो आस्थगित निवल निपटान प्रणालियों (डीएनएसएल) के आधारभूत सिद्धांत हैं -आर टी जी एस प्रणाली को छोड़कर देश में सभी भुगतान प्रणालियों के निपटान की पद्धति को कानूनी मान्यता देने की व्यवस्था की गई है।

2.184 यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिचालनगत प्रणालियाँ भुगतान और निपटान संबंधी कोई जोखिम खड़ा नहीं करें, रिज़र्व बैंक ने सीमित रूप में अपने निगरानी कार्य को औपचारिक बनाने की शुरुआत की है। प्रारंभ में रिज़र्व बैंक ने माइकर चेक प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीसी) की परिचालन क्षमता के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किया। माइकर सीपीसी के द्वारा इन न्यूनतम मानकों के अनुपालन के संबंध में एक तिमाही स्वमूल्यांकन रिपोर्ट (एसएआर) प्रस्तुत की जाएगी। ये मानक लिखतों की एनकोडिंग, समयसूची, सीपीसी में विनियमित प्रविष्टि, मशीनों के रखरखाव, परिचालनगत प्रक्रियाओं, अस्वीकृति दरों की निगरानी, ऑन लाइन अस्वीकृति मरम्मत (ओ एल आर आर) की गति और शुद्धता, पर्यवेक्षी सिग्नलों के लिए निपटान रिपोर्टों की जांच, वापसी समाशोधन अनुशासन का पालन करने, रिपोर्टें/डेटा डाउनलोड करने, ऑनलाइन समाधान में बैंकों को सक्षम बनाने, समाधान करने, ग्राहक सेवा और कारोबार निरंतरता योजना के संबंध में हैं। प्रस्तुत किए गए तिमाही एस ए आर का विश्लेषण किया जाता है और पायी गई विसंगतियाँ समाशोधन गृह का प्रबंधन देखनेवाले बैंकों को सूचित की जाती हैं और अनुपालन की निगरानी की जाती है। कार्यस्थल पर जानकारी लेने के लिए समाशोधन गृहों के दौरे भी किए जाते हैं।

2.185 रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों की निगरानी संबंधी पहली रिपोर्ट भी प्रकाशित की है जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्थागत रूप से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के अनुपालन के ब्यौरे दिए गए हैं।

10. प्रौद्योगिकी और अन्य प्रगति

2.186 बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। लेनदेन लागत घटाने और कुशलतापूर्वक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्वीकार करते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया है। आधुनिक, मज़बूत, कुशल और न्यूनतम निपटान जोखिमों वाली सुरक्षित

भुगतान प्रणाली की डिजाइनिंग और विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण (हॉलिस्टिक एप्रोच) अपनाया गया। तथापि प्रौद्योगिकी के उपयोग से भी कई चुनौतियाँ मिलीं, विशेष रूप से आइटी आधारित उत्पाद/सेवाओं की सुरक्षा के संबंध में।

2.187 सूचना प्रौद्योगिकी (आइ टी) रिज़र्व बैंक और वाणिज्य बैंकों द्वारा नए उत्पाद और सेवाओं को विकसित करने में मुख्य कारोबार सुविधाप्रदाता के रूप में उभर कर आयी है। लेनदेनों की बृहद मात्रा को संभालने और ग्राहकों की बदलती उम्मीदों को पूरा करने में तो आइ टी ने मदद की ही है, इसके अलावा बैंक के प्रबंधन और ग्राहकों दोनों को ही लगभग वास्तविक समय में सूचना प्रसंस्करण करके उपलब्ध कराती है।

2.188 वर्ष 2006-07 इस बात का गवाह है कि आम तौर पर वित्तीय क्षेत्रों और विशेष रूप से वाणिज्यि बैंकों के द्वारा आइटी प्रयासों को मजबूत बनाना प्रारंभ किया गया। वर्ष के दौरान हुई प्रमुख गतिविधियों में सम्मिलित हैं - डाटा केंद्रों की स्थापना, केंद्रीकृत प्रणाली को अपनाना और सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग का बृहद पैमाने पर कार्यान्वयन करना।

2.189 भारत में बैंकों को आइटी, जिसकी शुरूआत लगभग एक दशक पूर्व छोटे पैमाने पर हुई थी, लागू करने के लाभ मिलने अब शुरू हो गए हैं। देश में पहले स्टैंड अलोन प्रणालियों का उपयोग करने के बाद पुराने बैंकों ने कोर बैंकिंग प्रणालियाँ (सीबीएस) अपनाना प्रारंभ कर दिया है। निजी क्षेत्र के बैंकों ने संपूर्ण आइटी आधारित पृष्ठभूमि के साथ परिचालनों की शुरुआत की (यह पूर्वापेक्षाओं में से एक पूर्वापेक्षा थी जिस पर रिज़र्व बैंक ने जोर दिया) वहीं निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, जो कि अपने परिचालनों के लिए पारंपरिक प्रणालियों पर निर्भर थे, कोर बैंकिंग प्रणालियां अपनाने के लिए रूपांतरण के विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ा। यद्यपि इसके कारण सीबीएस के कार्यान्वयन में तुलनात्मक रूप से विलंब से हुआ तथापि उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकी को अपनाने के फलस्वरूप बैंक लाभान्वित हुए।

2.190 सीबीएस ने बैंकों को अपने ग्राहकों को तरह-तरह की सेवाएं देने के नए मार्ग प्रशस्त किए हैं। बैंकों के पास उपलब्ध केंद्रीकृत सूचना भंडार के कारण बैंकों से 'कहीं भी और कभी भी बैंकिंग' जैसी सुविधा मिलती है। अकेले किसी एक शाखा से जुड़े रहने के बजाय अब ग्राहक को पूरे बैंक का ग्राहक माना जाता है। इसके अलावा अब प्रौद्योगिकी आधारित नए डिलीवरी चैनेलों को भी मान्यता मिल रही है। पहले से ज्यादा बड़े पैमाने पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इनमें से कुछ हैं - इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और शेयर्ड एटीएम नेटवर्क ।

2.191 एक ओर जहां सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले नए उत्पादों और सेवाओं ने बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता में क्रांति ला दी है वहीं इनकी वजह से अनेक चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं जिनसे हमें पार पाना है। स्टाफ शिक्षा और पुनर्विन्यास, ग्राहक जागरूकता तथा बैंक की ओर से कार्य प्रक्रिया में परिवर्तन के अलावा सुरक्षा जो कि आइटी आधारित समस्त प्रयासों का आधार है, को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुरक्षा की मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। बैंकों इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे न केवल रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सामान्य न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करें बल्कि इसके लिए अतिरिक्त सावधानियां बरतें। सूचना प्रौद्योगिकी में सुरक्षा संबंधी सर्व स्वीकार्य अंतरराष्ट्रीय मानक ऐसी अपेक्षाओं के आधार में हैं जो बैंक के आंतरिक लेखा-परीक्षकों/ निरीक्षकों द्वारा तथा संबद्ध बैंकों के बाह्य/ सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जानेवाली सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा के कठोर मापदंडों से गुजरने के अलावा नियमित, आवधिक समीक्षा तथा उन्नयन के भी अधीन है।

2.192 दैनंदिन परिचालनों के लिए बड़े पैमाने पर आई टी पर निर्भरता होने के कारण इस प्रकार की प्रणालियों का निर्बाध रूप से कार्य करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता ने बहुत ही महत्व प्राप्त कर लिया है। अतः रिज़र्व बैंक द्वारा कारोबार निरंतरता और आपदा आंकड़ा पुनर्प्राप्ति प्रबंधन को न केवल अपनी प्रणालियों के लिए बल्कि वाणिज्य बैंकों में भी कार्यान्वित प्रणालियों के लिए भी यथायोग्य महत्व दिया जाता है। इसके लिए रिज़र्व बैंक द्वारा होस्ट की जानेवाली महत्त्वपूर्ण प्रणालियों, जिसमें सभी सदस्य बैंक भी भाग लेते हैं, का नियमित और आवधिक आपदा सुधार अभ्यास (डीआर ड्रिल) रिज़र्व बैंक कराता है। यह अभ्यास प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों के संबंध में समस्त प्रणाली की आंकड़ा पुनर्प्राप्ति (डीआर) तैयारियों को दृढ़ता प्रदान करता है। इसके अलावा अलग-अलग बैंक भी अपने स्तर पर डी आर अभ्यास कराते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनकी प्रणालियां अनदेखी आकस्मिकताओं में खरी साबित हों।

बैंकों में प्रौद्योगिकी और रिज़र्व बैंक की भूमिका

2.193 बैंकों को अपना खुद का आइ टी मार्ग नक्शा बनाने और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 2005 में वित्तीय क्षेत्र विजन (एफएसटी) दस्तावेज प्रकाशित किया था। इस दस्तावेज की पुनरीक्षा आइ टी में हो रहे बदलावों के संदर्भ में की गई थी और मध्यावधि के लिए एक ड्राफ्ट दस्तावेज अंतिम रूप दिए जाने पूर्व जनता की टिप्पाणियों के लिए रखा गया है। कुशलता और उत्कृष्टता के लिए आइ टीट के रूप में मिशन वक्तव्य तथा बेहतर ग्राहक सेवा, उन्नत आंतरिक

लेखा कार्य और समग्र प्रणालीगत कुशलता के लिए आइ टी पर लीवरेज रखने में वित्तीय क्षेत्र को सक्षम बनानाट नाम के कंपनी उद्देश्य अभी भी एफ एस टी विजन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में निरंतर बने हुए हैं।

बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के द्वारा प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं

2.194 बैंकों के नए उत्पादों और सेवाओं को फैलाने के लिए रिज़र्व बैंक कारोबार सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता आ रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही प्रणालियों में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस), वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली और केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट) पर संरचित वित्तीय मेसेजिंग प्रणाली के अलावा], राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली सम्मिलित हैं।

2.195 एनडीएस के सॉफ्टवेअर आर्कीटेक्चर के उन्नयन के परिणामस्वरूप बेहतर समवेश प्रवाह (थ्रूपुट) की प्राप्ति हुई है और बैंकों, जो प्रणाली के सदस्य हैं, के प्रसंस्करण समय में कमी आई है। फ्रंट एंड से जुड़े कुछ कार्य को अलग कर सी सी आइ एल को दिए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आरटीजीएस सुस्थापित हो चुका है और निधियों के अंतरण, विशेषरूप से बृहद मूल्यों और प्रणालीगत रूप से आवश्यक प्रयोजनों के लिए अंतरण की सुविधा का उपयोग जम कर किया जा रहा है। इस समय बैंकों की 35,000 से अधिक शाखाएं अपने ग्राहकों को आरटीजीएस आधारित निधि अंतरण का लाभ दे रही हैं।

2.196 रिज़र्व बैंक की सुरक्षित वेबसाइट प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं, नामतः, सरकार और वाणिज्य बैंकों को इलेक्ट्रानिक सूचना उपलब्ध कराती है। इंटरनेट के माध्यम से जिस सुविधा तर पहुंचा जा सकता है, उसका बड़े पैमाने पर उपयोग करना जारी रहा। बैंक और सरकारी विभागों और साथ ही अन्य वाणिज्य बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से सूचना प्रसारण करने का काम करती है, उपयोगकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग में लाई जा रही है। वर्ष के दौरान चेक समाशोधन और इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवाओं दोनों के ही लिए समाशोधन आंकड़ों का ट्रांसमिशन कई केंद्रों पर सुरक्षित वेबसाइट से किया गया था। इसके अलावा मुद्रा तिजोरी से प्राप्त आंकड़ों का मिलान, जो एकीकृत मुद्रा तिजोरी परिचालनों और प्रबंधन प्रणाली (आइसीसीओएमएस) का भाग है, सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग में लाकर किया गया। सुरक्षित इंटरनेट वेबसाइट को एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्स बी आर एल) स्ट्रक्चर की मदद से ऑन लाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली (ओआरएफएल) के साथ जोड़ दिया गया है ताकि बैंकों के द्वारा रिज़र्व बैंक को सिंगल स्टॉप रिपोर्टिंग में सुविधा हो सके।

बैंकों में प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियां

2.197 बैंकिंग में नए क्षितिज को छू रहे बहु अनुप्रयोगी स्मार्ट कार्ड ने उत्तर-पूर्व और दक्षिणी क्षेत्रों के हिस्सों में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है (बॉक्स II.17)।

बॉक्स सं.17: मल्टी एप्लिकेशन स्मार्ट कार्ड और बैंकिंग में उनकी संभावनाएं

स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट/डेबिट ए टी एम कार्ड के समान ही एक कार्ड है। इस कार्ड में एक चिप होती है, जो इसकी विशेषता है तथा इसमें जानकारी रखी जा सकती है। चुम्बकीय पट्टी आधारित कार्ड के विपरीत, चिप में रखी गई जानकारी स्थायी रूप की होती है, अथवा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, कार्डधारक द्वारा किसी भी अन्तराल पर पासवर्ड बदला जा सकता है। इसकी अतिरिक्त विशेषता के कारण स्मार्ट कार्ड का उपयोग न केवल वित्तीय लेन-देन प्रक्रिया के लिए बल्कि उसके साथ-साथ अन्य कई क्षेत्रों में भी किया जाता है।

स्मार्ट कार्ड तकनीक का सबसे बड़ा लाभ है कि इसके एक ही गतिशील कार्ड में बहुमुखी एप्लिकेशन समेकित किए जा सकते हैं। इन कार्डों से इनके उपयोगकर्ता का जीवन सरल होता है क्योंकि भुगतान और अन्य लेन-देनों के लिए तीन अन्य कार्डों के स्थान पर इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, इस एक कार्ड का उपयोग पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य कार्ड और निधि संबंधित अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। चूंकि ये कार्ड इस प्रकार की उच्च स्तरीय व्यक्तिगत एप्लिकेशन प्रदान करते हैं, उनकी गुणवत्ता उपयोगकर्ता के लिए बहुत अधिक होती है तथा ये औसत से अधिक ग्राहक विश्वसनीयता बनाने में मदद करते हैं।

भारतीय बैंकिंग ने सूचना प्रौद्योगिकी को अपना लिया है, अतः मल्टी एप्लिकेशन स्मार्ट कार्डों का उपयोग बढ़ गया है। स्मार्ट कार्ड आधारित इलैक्ट्रॉनिक पर्स सिस्टम, जिसमें जानकारी कार्ड चिप में रखी होती है, न कि बाहर से रिकार्ड किए गए खाते में; अतः कार्ड को स्वीकार करने वाली मशीन को नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती। अतः मल्टी एप्लिकेशन कार्ड जारीकर्ता के लिए भी लाभदायक हैं क्योंकि ये विशेष विपणन अवसर सृजित करने की संभावना उपलब्ध कराते हैं। देश के सुदूर क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए भी ये विशेष रूप से उपयुक्त हैं। स्मार्ट कार्ड लागू करने के बैंक इसलिए भी इच्छुक हैं क्योंकि इनमें धोखाधड़ी के मामलों में भारी कमी होने की योग्यता है।

मल्टी एप्लिकेशन स्मार्ट कार्ड भी विभिन्न चुनौतियां सामने रखते हैं। बहुमुखी स्मार्ट कार्ड एप्लिकेशन का उनकी संबद्ध स्क्रिप्ट, डाटा स्ट्रीम और सांकेतिक कुंजियों के साथ प्रबंधन एकल कार्य कार्ड जारी करने की तुलना में ज्यादा जटिल है। खुले मानक और अन्तर परिचालन अधिक जटिल हो जाते हैं। जीवन चक्र प्रबंधन भी अधिक विस्तृत हो जाता है, विशेष रूप से जारी करने के बाद एप्लिकेशनों का उन्नयन। ऐसी स्थितियों में एक सिद्ध, समेकित स्मार्ट कार्ड संरचना की स्थापना का अर्थ होगा, सर्वोत्तम लाभकारी अवसरों के पूंजीकरण की निरंतर सफलता अथवा असफलता के बीच अन्तर। इन मुद्दों के समाधान के लिए रिज़र्व बैंक ने एक प्रायोगिक परियोजना को समर्थन प्रदान किया है जिसमें प्रमुख कठिनाइयों और उनके निवारक उपायों को रखा गया है जो सामने आ सकती हैं। उनके आधार पर स्वीकार्य और लागू किए जा सकने वाले मानक सामने आएंगे।

बॉक्स.II.18 : सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन (आइ टी गवर्नेंस) अथवा सूचना और संप्रेषण तकनीक (आइ सी टी गवर्नेंस) कंपनी अभिशासन का ही एक रूप है जो सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और उनके निष्पादन तथा जोखिम प्रबंधन पर केन्द्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन की ओर बढ़ता हुआ रुझान आंशिक रूप से सारबेनेस - ऑक्सले अधिनियम और बासल- II की पहल के अनुपालन और यह पहचानने कि सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ आसानी से नियंत्रण के बाहर हो सकती हैं तथा किसी संगठन के कार्यनिष्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। यह बैंकिंग क्षेत्र सहित वित्तीय क्षेत्र के संबंध में ज्यादा सटीक है जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन में कमी भयंकर स्थिति की ओर ले जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन मोटे-तौर पर कंपनी अभिशासन का व्यापकतर स्तर है।

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन की चर्चा की बार-बार की थीम है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता पर चर्चा अब वर्ज्य विषय नहीं हो सकता। सीमित तकनीकी अनुभव और सूचना प्रौद्योगिकी की जटिलताओं के चलते बोर्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन पर पारंपरिक रूप से कार्रवाई कर मुख्य निर्णय लेने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायियों के होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन का तात्पर्य है वह प्रणाली जिसमें सभी जोखिम धारक जिसमें बोर्ड, आन्तरिक ग्राहक और संबंधित क्षेत्र तथा वित्त आते हैं सहित, निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारियां/ निविष्टियां उपलबध कराते हैं। इससे एक जोखिम उठाने वाले, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिक को खराब निर्णय के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इससे प्रयोगकर्ताओं को बाद में यह कहने से रोका जा सकता है कि प्रणाली ने आशा के अनुरूप कार्य नहीं किया।

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन कई मॉडल्स का अनुसरण करती है। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए कई समर्थक तंत्र हैं, कुछ अन्य निम्नानुसार हैं :-

- आइ टी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी (आइ टी आइ एल) जो तुरत-फुरत सूचना देने की एक विस्तृत व्यवस्था है कि किस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक अभिशासन किया जा सकता है।
- सूचना और संबंधित तकनीक के लिए नियंत्रण उद्देश्य (कोबिट) जो अच्छी सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक सुरक्षा और नियंत्रण प्रक्रियाओं के मानकीकरण का दृष्टिकोण है। यह किसी संगठन की 34 सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के निष्पादन के मूल्यांकन और मापन का साधन उपलब्ध कराता है। आइटीजीआइ (सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन संस्थान) कोबिट के लिए उत्तरदायी है।
- किसी भी संस्था के सुरक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए आइएसओ / आईईसी 27001 (आइ एस ओ 27001) सर्वोत्तम प्रक्रिया का सैट है। यह ब्रिटिश मानक 7799 (बी एस 7799) के रूप में शुरू हुआ; जिसका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम में हुआ और यह इस उद्योग में एक जाना-माना मानक बन गया जो किसी संगठन को सूचना सुरक्षा की प्रक्रिया में मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।
- सूचना सुरक्षा प्रबंधन परिपक्वता मॉडल आइएसएम 3, यह सुरक्षा के लिए प्रक्रिया आधारित आइएसएम परिपक्वता मॉडल है।
- एएस 8015 - 2005 सूचना और संप्रेषण तकनीक के कंपनी अभिशासन हेतु एक ऑस्ट्रेलियन मानक
- सीएमएम - क्षमता परिपक्वता मॉडल जो सॉफ्टवेयर इन्जीनियरिंग पर प्रकाश डालता है।
- दि बैलेंस्ड स्कोरकार्ड (बी एस सी) यह किसी संगठन के कार्यनिष्पादन का बहुत से विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकन करने का तरीका है।
- सिक्स सिगमा जिसका लक्ष्य गुणवत्ता की गारंटी पर केन्द्रित है।

तथापि, सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन के समक्ष कुछ नई चुनौतियाँ हैं। विस्तृत प्रक्रिया नियंत्रण के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन के उद्देश्यों का प्रकटीकरण (जैसे कि परियोजना प्रबंधन के संदर्भ में) बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन में अकसर विवादास्पद मामला रहता है। साथ ही, वित्तीय पारदर्शिता और सूचना प्रौद्योगिकी वित्तीय प्रबंधन में लागत प्रभावी आँकड़े प्राप्त करने में कठिनाइयाँ एक ऐसा विषय है जिसके लिए अब तक कोई स्पष्ट निर्णय (अर्थात चार्ज बैक साध्य) नहीं लिया गया है।

इन्फिनेट में गतिविधियाँ

2.198 रिजर्व बैंक की प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण अन्तर बैंक भुगतान प्रणालियों के लिए बैंकों द्वारा इलैक्ट्रानिक जानकारी के अन्तरण हेतु भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट) सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रेषण चैनल बना हुआ है। नेटवर्किंग तकनीक क्षेत्र में गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इन्फिनेट को मल्टी प्रोटोकॉल लेयर स्विचिंग (एमपीएलएस) में परिवर्तित किया जा रहा है जो परिचालन में आसानी के साथ-साथ बड़े पैमाने की किफायतें प्रदान करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन

2.199 सभी आइ टी आधारित उत्पादों के लिए अच्छे आइ टी अभिशासन की आवश्यकता होती है (बॉक्स II.18)।

11. कानूनी सुधार

2.200 वर्ष के दौरान बैंकिंग से संबंधित कानूनों में कई बड़े संशोधन किए गए। इसके अतिरिक्त, कुछ नए बिलों को अधिनियमन के लिए रखा गया।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006

2.201 बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006, जिसने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का संशोधन किया गया, संसद द्वारा पारित किया गया और यह 16

अक्तूबर 2006 से प्रभावी हो गया। संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड के संघटन में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए - i) राष्ट्रीयकृत बैंकों की गतिविधियों के विस्तार के मद्देनज़र अधिक कार्यकारी निदेशक हों, इसलिए पूर्णकालिक निदेशक की संख्या दो से बढ़ा कर चार कर दी गई; ii) रिज़र्व बैंक के अधिकारी के नामन के बजाय केंद्र सरकार की सिफारिश पर रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक वाणिज्य बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण में आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति होगा; iii) सेबी/नाबार्ड/पी एफ आई के पदाधिकारियों में से नामित निदेशक के प्रावधान को हटाना; iv) वर्तमान प्रावधान के अनुसार एक से छः निदेशकों के बजाय शेयर धारण की प्रतिशतता के आधार पर एक से तीन शेयरधारक निदेशकों का नामांकन ताकि स्वामित्व की प्रतिशतता के आधार पर और अधिक बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया जा सके (जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकतम तीन निर्वाचित निदेशक होंगे); तथा v) निर्वाचित निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानदण्ड के अनुसार 'योग्य और उचित' स्थिति वाले व्यक्ति होंगे; और (vi) इस सुधार से रिज़र्व बैंक को बैंकिंग नीति/जन हित/बैंक अथवा जमाकर्ताओं के हित में रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर एक अथवा अधिक अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

2.202 राष्ट्रीयकृत बैंक केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन और बाद में रिज़र्व बैंक के परामर्श से विनियम में निर्दिष्ट किए अनुसार प्रक्रिया के अनुरूप अधिमान आबंटन अथवा निजी स्थानन अथवा सार्वजनिक निर्गम द्वारा पूंजी इकट्ठी कर सकेंगे। केन्द्र सरकार के पास हर समय 51 प्रतिशत से अधिक प्रदत्त पूंजी होगी जिसमें इक्विटी शेयर शामिल होंगे। इसके अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिमान शेयरों के वोटिंग अधिकार केवल उन संकल्पों तक सीमित रहेंगे जो उनके अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हों। यह संशोधन केवल अधिमान शेयर पूँजी धारक सभी शेयर धारकों के कुल वोटिंग अधिकार के एक प्रतिशत की सीमा तक उनके द्वारा धारित अधिमान शेयरों के संबंध में अधिमान शेयर धारकों के वोटिंग अधिकारों को भी सीमित कर देगा।

2.203 इस संशोधन से शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट, वार्षिक लेखे और तुलन पत्र पर वार्षिक सामान्य सभा में चर्चा करने, उन्हें अपनाने और अनुमोदन का अधिकार प्राप्त हो गया है। राष्ट्रीयकृत बैंक समर्थ हैं कि वे 7 वर्ष से अधिक उन अदावी लाभांशों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अन्तर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अंतरित करें।

2.204 केन्द्र सरकार को अब जनता के हित में अथवा जमाकर्ताओं या बैंक के हितों के विरुद्ध बैंक द्वारा किए जा रहे कार्यों को रोकने अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों का उचित प्रबंधन प्राप्त करने में रिज़र्व बैंक की सिफारिशों पर निदेशक मंडल का अधिक्रमण करने का अधिकार है। यह अधिक्रमण 6 माह से अनधिक अवधि का होगा जिसे बढ़ाकर अधिकतम 1 वर्ष किया जा सकता है। केन्द्र सरकार रिज़र्व बैंक के परामर्श से एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है और कानून, वित्त, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था अथवा लेखांकन में अनुभवी 3 या अधिक सदस्यों की एक समिति बनाएगी जो प्रशासक को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता करेगी।

भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक कानून) संशोधन अधिनियम, 2007

2.205 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र अधिनियम, 1950, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 को संशोधित किया गया ताकि :- i) भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों के शेयरधारकों के समक्ष आई कठिनाइयों को दूर किया जा सके; ii) अनुषंगी बैंकों की पूंजी बढ़ाई जा सके; iii) अनुषंगी बैंकों को बाजार से संसाधन जुटाने का अवसर मिले।2007 का अधिनियम जो 9 जुलाई 2007 से प्रभावी हुआ है, द्वारा उक्त तीनों अधिनियमों को संशोधित किया गया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ i) अनुषंगी बैंकों की प्राधिकृत पूंजी बढ़ा कर 5 सौ करोड़ रुपए कर दी जाए और उसे एक सौ रुपए प्रत्येक के शेयर में अथवा भारतीय स्टेट बैंक के अनुमोदन से अनुषंगी बैंकों द्वारा निर्णय लिए गए मूल्यवर्ग में बाँट दिया जाए; ii) अनुषंगी बैंकों को यह अनुमति दी जाए कि वे वर्तमान शेयरधारकों को रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बनाई गई विनियमावली द्वारा निर्धारित ऐसे मूल्यवर्ग के शेयर प्रमाणपत्र जारी करें; iii) अनुषंगी बैंकों को अनुमति दी जाए कि वे रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बनाई गई विनियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुरूप अधिमान आबंटन अथवा निजी स्थानन अथवा सार्वजनिक निर्गम द्वारा निर्गम पूंजी बढ़ाएँ तथा रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अधिमान शेयर जारी करें; iv) अनुषंगी बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक की शेयरधारिता 55 प्रतिशत से कम करके 51 प्रतिशत करने की अनुमति दें; v) व्यक्तिगत शेयरधारिता में 200 शेयर से अधिक के प्रतिबंध को समाप्त किया जाए तथा (भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर) शेयरधारकों के मताधिकार की प्रतिशतता को बढ़ा कर संबंधित अनुषंगी बैंक की निर्गम पूंजी के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए; vi) रिज़र्व बैंक को यह शक्ति प्रदान की जाए जिससे कि वह वाणिज्य बैंकों के विनियमन अथवा पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले एक निदेशक को नामित कर सके तथा ऐसा प्रावधान कर सके कि जमाकर्ताओं और बैंकिंग नीति के हित में रिज़र्व बैंक द्वारा जब भी आवश्यक समझा जाए अतिरिक्त नामांकन

किया जा सके; vii) अनुषंगी बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित निदेशकों की संख्या जो कि 3 तक सीमित है, को सरकारी स्वामित्व की अलग-अलग प्रतिशतता के अधीन बढ़ाएँ; viii) अनुषंगी बैंक के निर्वाचित निदेशक के लिए सही मानदण्ड सहित पात्रता मानदंड के संबंध में अर्हता निर्दिष्ट करें तथा रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्रदान करें कि वे उन निर्वाचित निदेशकों को जो सही नहीं है, हटा सकें तथा अनुषंगी बैंक के निदेशक मंडल को यह अनुमति दें कि वे उनके स्थान पर सही व्यक्ति को दुबारा चुन सकें ; ix) रिजर्व बैंक को शक्तियाँ प्रदान करें ताकि भारतीय स्टेट बैंक की सिफारिश पर जनता के हित में अथवा जमाकर्ताओं के हित में अथवा अनुषंगी बैंकों का सही प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अनुषंगी बैंकों के निदेशक मंडल का अधिक्रमण किया जा सके तथा एक प्रशासक की नियुक्ति और प्रशासक को सहायता प्रदान करने के लिए एक समिति गठित की जा सके; x) अनुषंगी बैंक के बोर्ड को भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से तथा रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से, विनियम बनाने में सक्षम बनाया जा सके; xi) वीडियों कांफ्रेसिंग या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों से बोर्ड की बैठक कराने में बैंकों को सक्षम बनाना; xii) वार्षिक आम बैठक में मौजूद शेयरधारकों को तुलनपत्र अपनाने का हक देना।

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007

2.206 भारत सरकार ने जनवरी 2007 में बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश 2007 जारी किया जिसमें i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 में संशोधन का प्रावधान है ताकि रिज़र्व बैंक बिना किसी न्यूनतम सीमा के सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा आस्तियां निर्दिष्ट कर सके जो द्वारा इस रूप और प्रकार से रखी जाएंगी जैसे कि अनुसूचित बैंक रखते हैं; ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53 में संशोधन ताकि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) में स्थित संस्थानों/बैंकों/शाखाओं को दी जा रही छूट के मामले में ड्राफ्ट अधिसूचना संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने का प्रावधान हो सके।

2.207 इस अध्यादेश का निरसन बैंककारी विनियमन (संशोधन) बिल 2007 द्वारा किया गया जो 23 जनवरी 2007 को लागू हुआ और 28 मार्च 2007 को अधिसूचित किया गया था।

संसद में रखे गए बिल

2.208 लोकसभा में 13 मई 2005 को रखे गए बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधान संशोधित करने होंगे ताकि रिज़र्व बैंक के विनियामक अधिकार बढ़ाए जा सकें। इस विधेयक में निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान शामिल हैं : (i) मताधिकार पर लगा प्रतिबंध हटाना और विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक शेयर या मताधिकार प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा शुरू करना (रिज़र्व बैंक को अधिकार देना कि वह स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर ले कि शेयर या मताधिकार प्राप्ति के लिए आवेदक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है और ऐसी अन्य शर्तें लगाना जो रिज़र्व बैंक उचित समझे); (ii) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशानिर्देशों की शर्त पर बैंकिंग कंपनियों को अधिमानी शेयर जारी करने का अधिकार देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 12 संशोधित करना ; (iii) रिज़र्व बैंक को अधिकार देना कि वह किसी बैंकिंग कंपनी को निदेश जारी कर सके कि वह उसका वित्तीय विवरण प्रकट करे या रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक समझे अनुसार किसी सहयोगी उद्यम के कारोबार के संबंधित विवरण और जानकारी रिज़र्व बैंक को अलग से प्रस्तुत करे और किसी सहयोगी उद्यम का निरीक्षण किया जा सके; (iv)रिज़र्व बैंक को अधिकार देना कि वह किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल को अधिक्रमित करके प्रशासक नियुक्त कर सके; (v) प्राथमिक ऋण समितियों द्वारा रिज़र्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये बिना बैंकिंग कारोबार करने की छूट देने वाले प्रावधान को हटाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 56 संशोधित करना; और (vi) रिज़र्व बैंक को अधिकारी देना कि वह लोकहित या सहकारी बैंकों के हित या उसके जमाकर्ताओं के हित में किसी सहकारी बैंक की विशेष लेखा परीक्षा का आदेश दे सके। वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने विधेयक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

2.209 भुगतान और निपटान विधेयक, 2006 लोकसभा में 25 जुलाई 2006 को प्रस्तुत किया गया था। विधेयक के अनुसार रिज़र्व बैंक को भुगतान और निपटान प्रणाली के प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाना है। विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान हैं : (i) भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए रिज़र्व बैंक के प्राधिकरण की प्राप्ति की अनिवार्यता ; (ii) मानक निश्चित करके, जानकारी, विवरणियां, दस्तावेज आदि मंगाकर रिज़र्व बैंक को भुगतान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण का अधिकारी देना; (iii) जहां भुगतान प्रणाली परिचालित की जाती है उस परिसर में प्रवेश करके लेखा परीक्षा और निरीक्षण करने का अधिकार रिज़र्व बैंक को देना ; (iv) रिज़र्व बैंक को निदेश जारी करने का अधिकारी देना और (v) अन्य कानूनों को अधिक्रमित करना और सहभागियों द्वारा देय विदेशी मुद्रा या प्रतिभूतियों, मुद्रा की राशि के निर्धारण में अंतिम और अप्रतिसंहरणीय निपटान और निवलन के लिए प्रावधान करना । यह विधेयक विचार करने के लिए वित्त पर स्थायी समिति को भेजा गया था और समिति की रिपोर्ट लोकसभा में मई 2007 में प्रस्तुत की गई थी।

2.210 भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) बिल, 2006 जिसमें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 में संशोधन थे, लोकसभा में दिसंबर 2006 में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित बिल में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिमान शेयर जारी करके पूंजी बढ़ाने तथा इसे सार्वजनिक निर्गम अथवा अधिमान आबंटन अथवा निजी स्थानन के माध्यम से अपने संसाधन जुटाने में सक्षम बनाना है। इस बिल का उद्देश्य बैंक के प्रबंधन में लचीलापन भी लाना है। बिल में अन्य बातों के साथ-साथ ये प्रावधान भी हैं कि i) भारतीय स्टेट बैंक की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपए तक की जाए तथा उसे दस रुपए प्रत्येक के शेयर अथवा रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे मूल्यवर्ग में बाँटा जाए; ii) रिज़र्व बैंक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि या कटौती; iii) रिज़र्व बैंक और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्टेट बैंक की निर्गम पूंजी अधिमान शेयर आबंटन अथवा निजी स्थानन अथवा सार्वजनिक निर्गम द्वारा बढ़ाई जाए तथा रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुरूप अधिमान शेयर जारी करना; iv) वर्तमान इक्विटी शेयरधारकों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बोनस शेयर जारी करना; v) रिज़र्व बैंक की शेयरधारिता 55 प्रतिशत से कम करके 51 प्रतिशत करना जो निर्गम पूंजी के इक्विटी शेयर हैं; vi) स्टेट बैंक शेयर की राशि किस्तों में स्वीकार करे, 'काल' करे तथा अदत्त शेयरों तथा उनके पुनः निर्गमों को जब्त कर ले; vii) व्यक्तियों/संयुक्त शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों के संबंध में नामन सुविधा; viii) केन्द्र सरकार, रिज़र्व बैंक के परामर्श से 4 से अधिक प्रबंध निदेशक नियुक्त न करे तथा 'उपाध्यक्ष' का पद समाप्त करे; तथा ix) रिज़र्व बैंक की सिफारिशों पर कतिपय मामलों में केन्द्रीय बोर्ड का अधिक्रमण करने की केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करे तथा यह अधिक्रमण रहने तक प्रशासक की नियुक्ति करने का प्रावधान है।